इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2024—श्रावण 11, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2024

क्र. 1004-2030-2018-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति, श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक, कुल पाँच दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

पंजी. क्र. 2038-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला हरदा में विभागीय आदेश दिनांक 23 जुलाई 2013 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री विनोद कुमार सराफ का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2024

पंजी. क्र. 2040-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी में विभागीय आदेश दिनांक 2 फरवरी 2009 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री श्रवण चौहान जिनका कार्यकाल समय-

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

समय पर नवीनीकरण करने के बाद 1 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था. उक्त अवधि के पूर्व नवीनीकरण का आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न करने एवं आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी एवं स्वयं श्री चौहान द्वारा जानकारी के आधार पर नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 2053-2024-इक्कीस-ब (दो).— राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 15 फरवरी 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता एवं तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 29 जनवरी 2003 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्रसिंह पायक एवं तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 14 फरवरी 1996 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्र शेखर गुप्ता तथा जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2004 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुभाष जैन का निधन होने के कारण उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2024

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0049-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (5) की सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-1417-वि.यो.-इंदौर-उपांतरण-नग्रानि-2024, भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार इंदौर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 23 (5) (एक) सहपठित धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1 आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश
2 कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
3 आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश
4 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश.

उपांतरणों का विवरण

इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय-6 की कंडिका 6.3 के बिन्दु क्रमांक-25 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक-26 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

(26) इंदौर विकास योजना में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे चौड़े मार्ग की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र को प्राप्ति क्षेत्र घोषित किया जाता है. इस प्राप्ति क्षेत्र में निर्धारित आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक भूमि उपयोगों में अधिकतम स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 1:0.50 एफ. ए. आर. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से स्वीकार्य होगा.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0050-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (5) की सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-1429-वि.यो.-उज्जैन-उपांतरण-नग्रानि-2024, भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा प्रकाशित उज्जैन विकास योजना 2035 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उज्जैन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 23 (5) (एक) सहपठित धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1 आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश
2 कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
3 आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन, मध्यप्रदेश
4 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश.

उपांतरणों का विवरण

उज्जैन विकास योजना, 2035 के अध्याय-6 की कंडिका 6.2 के बिन्दु क्रमांक-22 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक-23 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

(23) उज्जैन विकास योजना में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे चौड़े मार्ग की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र को प्राप्ति क्षेत्र घोषित किया जाता है. इस प्राप्ति क्षेत्र में निर्धारित आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक भूमि उपयोगों में अधिकतम स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 1:0.50 एफ. ए. आर. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से स्वीकार्य होगा.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

क्र. एस. एस. टी.-14-0025-2023-इकतालीस-2.—यत:, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्यालयों (जिनमें अधीनस्थ कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान भी सम्मिलित हैं) में आधार सक्षम बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए ई बी ए एस) को कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया गया है. राज्य सरकार के सभी अधीनस्थ कार्यालयों (शैक्षणिक संस्थान सहित) में आधार सक्षम बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए ई बी ए एस) स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा. बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली उपस्थिति दर्ज करने का माध्यम होगी. कार्यालय समय, देर से उपस्थिति आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि पूर्वानुसार लागू रहेंगे;

2. और, यत:, ऐसे प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 विरचित किए हैं, जिसमें स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन के लिए प्रयोजन और स्वैच्छिक आधार पर आधार का उपयोग करने की अनुमति लेने के लिऐ अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विहित की गई है;

3. अतएव, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान (अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा कि राज्य सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, विहित करे, स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन करने की, अनुज्ञा प्रदान की जाती है.

4. **आधार सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए ई बी ए एस).**—एईबीएएस में आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है और उपयोगकर्ता संगठन उपस्थिति के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराएंगे.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड उक्त अधिनियम, आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियमन, 2016 के उपबंधों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

क्र.SNT -14-0025-2023-इकतालीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक SNT -14-0025-2023-इकतालीस-2, दिनांक 23 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd July 2024

No. SNT -14-0025-2023- XLI-2.—WHEREAS, it has been decided by the Government of India to implement Aadhaar Enabled Bio-metric Attendance System (AEBAS) in all the offices of the State Government (including sub-ordinate offices and educational institutions). Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation, Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh shall provide technical guidance for setting up Aadhaar Enabled Bio-metric Attendance System (AEBAS) in all sub-ordinate offices (including educational institutions) of the State Government. Bio-metric attendance system shall be the medium to record attendance. There has been no change in the rules and regulations related to office timings, late attendance etc, which shall remain in force as before;

2. AND WHEREAS, for such purposes, the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020, wherein the purposes for Aadhaar Authentication on voluntary basis and process to be followed to seek permission to use Aadhaar on voluntary basis has been prescribed;

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the State Government in consultation with the Authority and in the interest of the State, may prescribe.

4. **Aadhaar Enabled Bio-metric Attendance System (AEBAS).**—Aadhaar Authentication in AEBAS is on voluntary basis and user organizations shall provide alternate means of attendance.

Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited shall comply with the provisions of the said Act, Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 and the Office Memorandums circulars and guidelines issued by Unique Identification Authority of India from time to time.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AZIZA SARSHAR ZAFAR, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 21 जून 2024

क्र. तीन-ए-वित्त-स्था.-2024-361.—मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48-मु. स.-2022-धर्मस्व, दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश). ''पंजीयक लोक न्यास'' की शक्तियाँ राजस्व अनुविभाग, टीकमगढ़ की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्री संजय कुमार दुबे, अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग टीकमगढ़ को प्रत्यायोजित करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. तीन-ए-वित्त-स्था.-2024-362.—मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48-मु. स.-2022-धर्मस्व, दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.). ''पंजीयक लोक न्यास'' की शक्तियाँ राजस्व अनुविभाग, जतारा की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्री शैलेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग जतारा को प्रत्यायोजित करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. तीन-ए-वित्त-स्था.-2024-363.—मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48-मु. स.-2022-धर्मस्व, दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.). ''पंजीयक लोक न्यास'' की शक्तियाँ राजस्व अनुविभाग, बल्देवगढ़ की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्रीमती भारती देवी मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़ को प्रत्यायोजित करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2024

क्रमांक एफ-3/02/2020/तेरह : जबकि आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग, वसंत विहार, आर्मी हॉस्पिटल के सामने एवं रेफरल, नई दिल्ली - 110057 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली (TBCB) के माध्यम से अंतरा-राज्य पारेषण प्रणाली अंतर्गत मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु 400/220/132 केव्ही लाईनों के निर्माण कार्य (संलग्न परिशिष्ट अनुसार) करने का इरादा रखता है।

2/ और जबकि, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/02/2020/तेरह, दिनांक 13.01.2023 से संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित 400/220/132 केव्ही लाईनों के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई है। उक्त प्रस्तावित शिरोपरि पारेषण लाईनें मध्यप्रदेश के 17 जिलों यथा - रायसेन, नर्मदापुरम, खरगोन, हरदा, सीहोर, अशोकनगर, गुना, भोपाल, बैतूल, राजगढ़, आगर-मालवा, उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, देवास, धार, बुरहानपुर के ग्रामीण/ नगरीय/ शहरी क्षेत्रों के ऊपर/ आसपास/ मध्य से गुजरेंगी ।

3/ और अब जबकि आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली (TBCB) के माध्यम से परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही पारेषण लाईनों के खंबे लगाने / लाईन बिछाने / निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत टेलीग्राफ अथॉरिटी की शक्तियों को प्रदान करने का आवेदन किया गया है।

और जबकि आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड द्वारा परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही पारेषण लाईनों के निर्माण हेतु विद्युत

अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।

4/ अतएव, प्राप्त आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचारोपरांत राज्य शासन, एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-I लिमिटेड को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों की स्थापना हेतु निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन वे सभी शक्तियां प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा स्थापित अथवा रख-रखाव किये गये अथवा इस प्रकार स्थापित या रख-रखाव किए जाने वाले लाइनों और खम्भों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ ॲथारिटी को प्राप्त हैं :-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति केवल संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित अनुसार शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा एवं यह एक व्यापक प्राधिकार नहीं है।

(ii) उक्त अनुमोदन इस आदेश के जारी होने की तिथि से 25 (पच्चीस) वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु प्रदान किया जाता है।

(iii) प्रदत्त शक्तियाँ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के प्रावधानों के अधीन है।

(iv) आवेदक को राज्य शासन के आदेश क्र. एफ-3/02/2020/तेरह दिनांक 13.01.2023 एवं शुद्धि पत्र क्र. एफ-3/02/2020/तेरह दिनांक 20.09.2023 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत प्रदत्त अनुमति के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(v) आवेदक को पारेषण, संचालन एवं संधारण, ओपन एक्सेस आदि के बारे में समुचित आयोग द्वारा जारी सभी विनियमों / संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(vi) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 एवं समय-समय पर यथा संशोधित एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

(सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

(vii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(viii) पारेषण लाइनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।

(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाइनों के विद्यमान पारेषण लाइनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी।

(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें पास करने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। हालांकि लाइन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(xi) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाइनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाइनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

(xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(xiii) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(xiv) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।

(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाइनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।

(xvi) आवेदक कंपनी केन्द्र/राज्य सरकार की सभी प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।

(xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी।

(xviii) यह अनुमोदन, आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन है। उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वत: रद्द हो जाएगी।

(xix) राज्य शासन एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय यह अनुमोदन वापस ले सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

परिशिष्ट

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मप्र में अंतरा-राज्य पारेषण कार्यों का विकास: पैकेज - I

क्रमांक	पारेषण कार्य
1.	**400/220/132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र मंडीदीप (जिला रायसेन)**
i	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी (पीजीसीआईएल)- भोपाल 400 के.व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लिलो कार्य।
ii	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये होशंगाबाद- आदमपुर 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
iii	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप - भोपाल 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
iv	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 132 - बगरोदा 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
v	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 220 - एमएसीटी भोपाल 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
2.	**220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बिसौनीकलां (जिला होशंगाबाद)**
i	बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी - हान्डिया 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
ii	बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा - हान्डिया 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
iii	बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सिवनी मालवा - हरदा 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
3.	**220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र खरगोन (जिला खरगोन)**
i	खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये छैगांव - जिमरानी 220 के.व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लिलो कार्य।
ii	खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये खरगोन - जुलवानिया (तलकपुरा) 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
iii	खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये भीकनगांव - बिस्टान 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
4.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सोडलपुर (जिला हरदा)**
i	बिसौनीकलां - सोडलपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	सोडलपुर - सुलतानपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
5.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र जावरजोड़ (जिला सिहोर)**
i	जावरजोड़ 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये आष्टा - सोनकच्छ 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।

क्रमांक	पारेषण कार्य
6.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पथारी (जिला रायसेन)**
i	गैरतगंज - पथारी 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन।
7.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बाड़ी (जिला रायसेन)**
i	बरेली - बाड़ी 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	बाड़ी- शाहगंज 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
8.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सेमराहाट (जिला गुना)**
i	अशोकनगर - सेमराहाट 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	सेमराहाट - आरोन 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
9.	**132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र एचओडी भोपाल (जिला भोपाल)**
i	मुगलियाछाप - एचओडी भोपाल 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन।
10.	**220/33 के.व्ही. उपकेन्द्र शाहपुर (जिला बैतुल)**
i	शाहपुर 220/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा टीपीएस - इटारसी 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
11.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र छापीहेड़ा (जिला राजगढ)**
i	खुजनेर - छापीहेडा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	छापीहेडा - नलखेडा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
12.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र भाटपचलाना (जिला उज्जैन)**
i	भाटपचलाना 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये बडनगर - आरेंज बेरछा 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
13.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र ढोढर (जिला रतलाम)**
i	ढोढर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये जावरा - दलोदा 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
14.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पीपलगांव (जिला खरगोन)**
i	कसरावद - पीपलगांव 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन।
15.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र अंबाजा (जिला अलीराजपुर)**
i	अंबाजा 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये बडवानी - कुक्षी 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य।
16.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र चौबाराधीरा (जिला देवास)**
i	सोनकच्छ - चौबाराधीरा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
17.	**132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र पीथमपुर सेक्टर - III (जिला धार)**
i	पीथमुपर 220 - पीथमपुर सेक्टर-III 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन।
18.	**प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य (बुरहानपुर)**
i	बहादुरपुर - बड़गांव 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।

No. F-3-02-2020-13 Bhopal, the 29th July 2024

Whereas the Applicant, M/s MP Power Transmission Package-I Limited, with Registered Address at 2nd Floor, Niryat Bhawan, Rao Tularam Marg, Vasant Vihar, Opposite Army Hospital & Referral, New Delhi - 110057 intends to develop Intra-state transmission system, in different areas of Madhya Pradesh regarding construction of 400/220/132 KV lines as per enclosed Annexure under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) process.

2/ And whereas Government of Madhya Pradesh, Energy Department vide Order no. F-3/02/2020/13 dated 13.01.2023 has granted permission under Section 68 of the Electricity Act, 2003 to the Applicant, M/s MP Power Transmission Package-I Limited for laying/construction of 400/220/132 KV overhead lines in Madhya Pradesh as per Annexure. The above proposed Transmission lines shall pass through the area in 17 different districts of Madhya Pradesh i.e. Raisen, Narmadapuram, Khargone, Harda, Sehore, Ashoknagar, Guna, Bhopal, Betul, Rajgarh, Agar Malwa, Ujjain, Ratlam, Alirajpur, Dewas, Dhar, Burhanpur and line routes shall pass through over/around/between villages/towns/cities in the area.

3/ And whereas the Applicant, M/s MP Power Transmission Package-I Limited has requested to confer upon them the powers of Telegraph Authority under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing supports and laying/construction of transmission lines under tariff based competitive bidding process, as per Annexure.

And whereas, the Applicant, M/s MP Power Transmission Package-I Limited has complied with the procedure for obtaining the authorisation under Section 164 of Electricity Act, 2003 for construction of 400/220/132 KV transmission lines as per Annexure.

4/ Now, therefore, after careful consideration State Government hereby confers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 all the powers to the Applicant, M/s MP Power Transmission Package-I Limited which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of the telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained for installation of overhead transmission lines as mentioned in the Annexure on the following terms and conditions:-

(i) The permission accorded under Section 164 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure, only for the purpose specified as above and this is not a general authorization.

(ii) The above approval is granted for an initial period of 25 (Twenty five) years from the date of issue of this order.

(iii) The powers conferred are subject to the provisions of Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885).

(iv) The applicant shall have to ensure compliance of all terms and conditions of permission granted under Section 68 of Electricity Act, 2003 by the State Government vide Order No. F-3/02/2020/13, dated 13.01.2023 & corrigendum vide Order No. F-3/02/2020/12, dated 20.09.2023.

(v) The applicant shall have to ensure compliance of all regulations/codes issued by appropriate commission regarding transmission, operation & maintenance, open access etc.

(vi) The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023, CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and

Electric Lines) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 & amendments thereof.

(vii) The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way" (RoW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost.

(viii) The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority/s.

(ix) In case of crossing of the proposed overhead line with existing Transmission lines, National / State highway, river, railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/s.

(x) In case the lines are proposed to pass over forest lands, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in the forest area. However, 'No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of non-involvement of forest land with laying of the line.

(xi) In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees, the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities.

(xii) The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before the proposed line is energized/charged.

(xiii) On completion of construction work of the proposed lines, the Applicant Company shall have to obtain permission from the Electrical Inspector, before charging the lines, at its own cost.

(xiv) If there is any damage to personal/public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority/s.

(xv) If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.

(xvi) The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of Central /State Govt. prevailing and as amended from time to time.

(xvii) The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work.

(xviii)The approval is subject to compliance of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under, by the applicant. On violation of any of the above-mentioned terms / conditions, the permission shall automatically stand CANCELLED.

(xix) The State Government may withdraw this approval any time after giving one-month notice.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. K. GAUR, Officer on Special Duty.

Annexure

Development of Intra-State Transmission Work in M.P. through Tariff Based Competitive Bidding: PACKAGE – I

S.No.	Transmission Elements
1	**400/220/132/33 KV GIS Substation at Mandideep (District-Raisen)**
i	LILO of both circuits of Itarsi (PGCIL) – Bhopal 400 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
ii	LILO of Hoshangabad – Adampur 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
iii	LILO of Mandideep – Bhopal 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
iv	LILO of Mandideep132 – Bagroda 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
v	LILO of Mandideep 220 – MACT Bhopal 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
2	**220/132/33 KV substation Bisonikala (District-Hoshangabad)**
i	LILO of Itarsi – Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S/s
ii	LILO of Satpura – Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S/s
iii	LILO of Seonimalwa – Harda 132 KV line at Bisonikala 220KV S/s
3	**220/132/33 KV Substation at Khargone (District-Khargone)**
i	LILO of both circuits of Chhegaon – Nimrani 220 KV line at Khargone 220 KV S/s
ii	LILO of Khargone – Julwaniya (Talakpura) 132 KV line at Khargone 220 KV S/s
iii	LILO of Bhikangaon – Bistan 132 KV line at Khargone 220 KV S/s
4	**132/33 KV substation at Sodalpur (District-Harda)**
i	Bisonikala – Sodalpur132KV DCSS line.
ii	Sodalpur – Sultanpur 132 KV DCSS line.
5	**132/33 KV substation at Jawarjod (District-Sehore)**
i	LILO of Ashta – Sonkatch 132 KV line at Jawarjod 132 KV S/s
6	**132/33 KV substation at Pathari (District-Raisen)**
i	Gairatganj – Pathari 132 KV DCDS line
7	**132/33KV substation at Badi (District-Raisen)**
i	Bareli – Badi132KV DCSS line
ii	Badi – Shahganj132KV DCSS line
8	**132/33KV substation at Semrahat (District-Guna)**
i	Ashoknagar – Semrahat 132 KV DCSS line
ii	Semrahat – Aron 132KV DCSS line

S.No.	Transmission Elements
9	**132/33 KV GIS substation at HOD Bhopal (District-Bhopal)**
i	Mugaliya Chhap – HOD Bhopal 132KV DCDS line
10	**220/33KV substation at Shahpur (District-Betul)**
i	LILO of Satpura TPS – Itarsi 220 KV line at Shahpur 220/33KV S/s
11	**132/33 KV substation at Chhapiheda (District-Rajgarh)**
i	Khujner – Chhapiheda 132KV DCSS line
ii	Chhapiheda – Nalkheda 132KV DCSS line
12	**132/33 KV substation Bhatpachlana (District-Ujjain)**
i	LILO of Badnagar – Orange Berchha 132KV DCSS line at Bhatpachlana 132KV S/s
13	**132/33KV substation at Dhodhar (District-Ratlam)**
i	LILO of Jaora – Daloda 132KV line at Dhodhar 132KV S/s
14	**132/33KV substation at Pipalgaon (District-Khargone)**
i	Kasrawad – Pipalgaon 132KV DCDS line
15	**132/33KV substation at Ambaja (District-Alirajpur)**
i	LILO of Barwani – Kukshi 132KV line at Ambaja 132KV S/s
16	**132/33KV substation at ChoubaraDheera (District-Dewas)**
i	Sonkatch – ChoubaraDheera 132KV DCSS line
17	**132/33KV GIS substation at Pithampur Sector-III (District-Dhar)**
i	Pithampur220 – Pithampur Sector-III 132KV DCDS line
18	**System Strengthening Works (Burhanpur)**
i	Bahadurpur – Badgaon 132KV DCSS line

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

क्रमांक/1394/आर–2134594/2024/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहॉ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 22°16'55.822" से N 22°17'12.849" उत्तर अक्षांश तथा E 78°42'35.643" से E 78°42'57.574" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :– बालाघाट **तहसील :– किरनापुर**

वनमण्डल :– दक्षिण बालाघाट **वन परिक्षेत्र :– हट्टा**

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	कुआंगोदी 'अ'	कुआंगोदी	शासकीय भूमि पहाड़ सरकार	3/1/2	33.453	उत्तर – आरक्षित वनखण्ड कुंआगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा क्रमाक 47/7 से मुनारा क्रमांक 5 तक की वनसीमा। पूर्व – आरक्षित वनखण्ड कुंआगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा क्रमांक 5 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक और मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम वन सीमा एवं मुनारा क्रमांक 5 से आरक्षित वनखण्ड राजाडेरा उत्तर के कक्ष क्रमांक 187 के प्राकृतिक नाला सीमा तक। दक्षिण – आरक्षित वनखण्ड राजाडेरा उत्तर के कक्ष क्रमांक 187 की उत्तर वन सीमा लाइन प्राकृतिक नाला सीमा। पश्चिम – आरक्षित वनखण्ड नीला के कक्ष क्रमांक 183 की पूर्वी वन सीमा लाईन पर प्राकृतिक नाला से मुनारा क्रमांक 51 तक और मुनारा क्रमांक 51 से 48 तक एवं मुनारा क्रमांक 48 से आरक्षित वनखण्ड कुआंगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा क्रमांक 47/7 तक की वनसीमा।
				कुल योग	33.453	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 19.02.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/624/आर–1360585/2023/10–3 दिनांक 21.03.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग/संस्थान– महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक–1, 2 बालाघाट, जिला बालाघाट की स्वीकृत परियोजना (05 सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव (1) दुल्हापुर, हल्बीटोला, सतीटोला से पौसेरा तक, प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/407719/2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 4.419 हे0 (2) लोढामा से टाटीधर, व्हाया मुण्डीदादर, मडियापार, घाघराटोला तक, प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/410133/2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 12.150 हे0 (3) सुपखार–पटवा–छतरपुर तक, प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156158/2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 9.408 हे0 (4) बंधनखेरो–देवगांव–सरईपतेरा–अकलपुर–जैरासी तक, प्रकरण क्रमांक (Old) FP/MP/Road/156152/2022, (New) FP/MP/Road/459912/2024 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 4.872 हे0 (5) मालूमझोला से हतबन व्हाया बंधनखेरो तक, प्रकरण क्रमांक (Old) FP/MP/Road/156134/2022, (New) FP/MP/Road/458979/2024 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 2.604 हे0) में प्रभावित 33.453 हे0 वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 33.453 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.453 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0002/अ–59 वर्ष 23–24 दिनांक 23.05.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार किरनापुर, जिला बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकार :– उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :– उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

क्र. 1394–आर–2134594–2024–दस–3.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1394–आर–2134594–2024–दस–3, दिनांक 23 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 23rd July 2024

No./ /R-2134669/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that State Government from time to time. This forest blocks lies between N 21°48'59.97" to N 21°49'22.88" North Latitude and E 80°24'43.86" to E 80°25'22.17" East Longitude.

SCHEDULE

District - Balaghat **Tahsil - Kirnapur**
Forest Division - South Balaghat **Forest Range - Hatta**

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Black	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kuagondi 'A'	Kuagondi	Government Land Pahad Sarkar	3/1/2	33.453	North – Forest boundary from Pillar No. 47/7 to 5 of compartment no. 182 of Kuagondi Reserve forest block. East - From Pillar No. 5 of compartment no. 182 of Kuagondi reserved forest block to Pillar 1 of proposed forest block and artificial forest boundary from Pillar no. 1 to 5 and from Pillar no. 5 to natural Nala boundary of compartment no. 187 of Rajadera North reserved forest block. South - Northern forest boundary line of compartment no. 187 of reserved forest block Rajadera North natural Nala boundary. west - From natural Nala on eastern forest boundary line of compartment no. 183 of Neela reserved forest block to Pillar no. 51 and from Pillar no. 51 to 48 and from Pillar no. 48 to Pillar no. 47/7 of compartment no. 182 of Kuagondi reserved forest block.
				Total	33.453	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India's letter dated 19-02-2024, and Madhya Pradesh Govt. order No./624/आर-1360585/2023/10-3 date 21-03-2024 in lieu of 33.453 hectare of affected forest land under the sanctioned project (05 Proposals for road construction works respectively (1) Dulhapur, Halbitola, Satitola to Pausera proposal No. FP/MP/Road/407719/2022 area 4.419 ha. (2) Lodama to Tatidhar Via Mundidadar, Madiyapar, Ghaghratola proposal No. FP/MP/Road/410133/2022 area 12.150 ha. (3) Supkhar-Patwa-Chhatarpur proposal No. FP/MP/Road/156158/2022 area 9.408 ha. (4) Bandhankher-Devgaon-Saraipatera-Akalpur-Jairasi proposal No. (Old) FP/MP/Road/156152/2022, (New) FP/MP/Road/459912/2024 area 4.872 ha. (5) Malumjhola to Hatban Via Bandhankhero proposal No. (Old) FP/MP/Road/156134/2022, (New) FP/MP/Road/458979/2024 area 2.604 ha.) of user agency- General Manager, M.P.R.R.D.A., PIU-1, 2 Balaghat, Distt. Balaghat, the above mentioned Non Forest Land of 33.453 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No./0002/A-59 year 23-24 dated 23.05.2023 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.

2. Detail of other Reasons – Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Kirnapur, District Balaghat are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2024

क्र. 4490-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-हिरदागढ़ प.ह.नं.-33 बं.नं.-601 रा.नि.मं.-जुन्नारदेव.	रकबा-70.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4491-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत ''सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.'' अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-नंदौरा प.ह.नं.-31 बं.नं.-25 रा.नि.मं.-दमुआ 1.	रकबा-120.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4492-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत ''सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.'' अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-भावईखुर्द प.ह.नं.-34 बं.नं.-373, रा.नि.मं.-जुन्नारदेव.	रकबा-11.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4493-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-खापासुरजू प.ह.नं.-32 बं.नं.-08, रा.नि.मं.-दमुआ-1.	रकबा-75.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4494-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-सेमरकुही प.ह.नं.-32 बं.नं.-42, रा.नि.मं.-दमुआ-1.	रकबा-01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4495-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-बिरजापुरा प.ह.नं.-32 बं.नं.-33, रा.नि.मं.-दमुआ-1.	रकबा-15.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4496-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत ''सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे.'' अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-भावईकला प.ह.नं.-34 बं.नं.-36, रा.नि.मं.-जुन्नारदेव.	रकबा-75.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4497-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-करमोहनीबंधी प.ह.नं.-30 बं.नं.-02, रा.नि.मं.-दमुआ-1.	रकबा-40.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4499-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019-एम.पी.एस.-इकतीस-221, भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-करहैया प.ह.नं.-34 बं.नं.-45, रा.नि.मं.-दमुआ-1.	रकबा-19.870 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1496/भू–अर्जन/24 दि0 10/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	बड़ोर	2.8138 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की कोठी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1494/भू–अर्जन/24 दि0 10/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	जिरवार खुर्द	0.5250 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1495/भू–अर्जन/24 दि0 10/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	गड़राकोठार	2.0988 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1496/भू–अर्जन/24 दि0 10/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	अवधेन्द्र सागर	1.8613 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की नैना माइनर एवं बैरगला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1497/भू–अर्जन/24 दि0 10/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	मौहार	5.6488 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर एवं सगमा सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1498/भू–अर्जन/24 दि0 10/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	गड़रा पवाई	1.7038 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1577/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	पैकोरी	0.3030 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1578/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	पोंडी	4.8588 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर की खाम्हा सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0/1579/भू–अर्जन/24 दि0 /16 /07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	बैरागला	1.5888 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की बैरागला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0/1580/भू–अर्जन/24 दि0 /16 /07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	खाम्हा	3.1975 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1581/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	घडेरूवा	1.0063 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की घडेरूवा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1582/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	पैकोरा	1.0224 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1587/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	लोखरिहा	3.4813 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घडेरूआ एवं लोखरिहा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अजन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1584/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	टिकुरी कला	0.5950 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1587/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	बरहा	1.2038 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मसनहा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1584/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	मझिगवां	1.1138 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1587/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	जिरवार कला	2.1200 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1588/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	भुमकहर	10.8520 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुमकहर माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1589/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	बेनीपुर	0.3350 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की जैतवारा उप वितरिका अंतर्गत मझगवां सुर्फी माइनर की देवरी सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1590/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	भरजुना कला	0.9913 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की भरजुना कला माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0/1591/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	गरलगी	1.1413 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत ओढकी माइनर की गरलगी सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0/1592/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	बौलिहा	1.4672 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की बैलिहा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1593/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	हिनौता	2.1350 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका की हिनौता माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1594/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	धौरहरा	3.7075 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1595/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	मझगवां धुरंधर	2.4688 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर की जैतवारा उप वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1596/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	रैगांव	3.1013 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1597/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	डिलौरी	3.2525 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की डिलौरी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1598/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	उमरी	3.3913 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की भरजुना कला माइनर तथा शिवपुरवा सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1599/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पनास	3.2063 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बडखेरा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1600/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	करहिया कला	3.8925 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका एवं करहिया कला माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1601/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	स्वाता	0.6713 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की किटहा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अजन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1602/भू–अर्जन/24 दि0 16/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	मटीमा 342	0.2488 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा की तुर्री वितरिका की गौरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अजन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1665/भू–अर्जन/24 दि0 16/05/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	बड़खेरा	3.8800 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बड़खेरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0.1663/भू–अर्जन/24 दि0 23/07/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	निपनिया	0.4375 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घडेरूआ माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ82/24–25 पत्र क्र0 1670 /भू–अर्जन/24 दि0 23/07/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	झिरिया	1.2425	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.–1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सुजावल माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 611–भू–अर्जन–2024 सीधी, दिनांक 24 जुलाई 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 19.10.2022 को किया जा चुका है । किन्तु विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने तथा उसमें व्यस्तता हो जाने के कारण निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका । म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा–3 के खण्ड (ड.) के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् व्दारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा । (म0प्र0 राजपत्र भाग–1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं व्दितीय परन्तुक एवं धारा–25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा–19 के परन्तुक अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन में रीवा–सीधी नई रेल लाईन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :–

2. भूमि का वर्णन :–

क्रं.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	निजी भूमि का प्रभावित रकबा (हे0में)	धारा–19 का 01 वर्ष समयावधि जारी होने का दिनांक	धारा–19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा–19 की समयावधि में की गई वृध्दि
1.	2	3	4	5	6	7
1.	झलवार	रामपुर नैकिन	0.225	19.10.2022	18.10.2023	19.10.2023 से एक वर्ष की समयावृध्दि की जाती है ।

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :– ललितपुर–सिंगरौली नई रेल लाईन
4. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन से देखा जा सकता है ।

क्रमांक 607–भू–अर्जन–2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोसित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन–

जिला :– सीधी
तहसील :– बहरी
ग्राम :– कुबरी
निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकवा **0.0320 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हे0में)	भूमिस्वामी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	250/1	0.0230	रमाकांत पिता मोतीलाल ब्रा0 निवासी ग्राम कुबरी तहसील बहरी	ललितपुर–सिगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु।
2	314/1/3	0.0090	विद्याकांत पिता मोतीलाल ब्रा0 निवासी ग्राम कुबरी तहसील बहरी	
निजी भूमि का योग–		**0.0320**		

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है– रीवा–सीधी–सिगरौली नई रेल लाइन हेतु
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन कार्यालय कलेक्ट्रेट सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी सिहावल जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

टीप–उपरोक्त अर्जित भमियो का रेल विभाग के अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पर सयुक्त निरिक्षण किया गया जो रेलवे एलायमेंन्ट अतर्गत ही है।

क्रमांक 609–भू–अर्जन–2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन–

(क) जिला – **सीधी**

(ख) तहसील – **रामपुर नैकिन**

(ग) ग्राम – **पटेहरा**

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर – **पटेहरा**

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल – **रकवा 1.684 हे0**

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
1	4/1/1	0.140	0.020	उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	4/1/2	0.140			
3	4/1/3	0.120			
4	4/2/1	0.350			
5	4/2/2	0.040			
6	30/1/1/1	0.005	0.050		
7	30/1/1/2	0.005			
8	30/1/1/3	0.005			
9	30/1/1/4	0.005			
10	30/1/2	0.010			
11	30/1/3	0.008			
12	30/1/4	0.008			
13	30/2	0.008			
14	30/3/1	0.008			
15	30/3/2	0.008			
16	204	0.130	0.055		
17	206/1/1/1/1	0.001	0.120		
18	206/1/1/1/2	0.001			
19	206/1/1/1/3	0.001			
20	206/1/1/1/4	0.001			
21	206/1/1/1/5	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
22	206/1/1/1/6	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
23	206/1/1/1/7	0.001			
24	206/1/1/1/8	0.001			
25	206/1/1/1/9	0.001			
26	206/1/1/1/10	0.001			
27	206/1/1/1/11	0.001			
28	206/1/1/1/12	0.001			
29	206/1/1/1/13	0.001			
30	206/1/1/1/14	0.001			
31	206/1/1/1/15	0.001			
32	206/1/1/1/16	0.001			
33	206/1/1/1/17	0.001			
34	206/1/1/1/18	0.001			
35	206/1/1/1/19	0.001			
36	206/1/1/1/20	0.001			
37	206/1/1/1/21	0.001			
38	206/1/1/1/22	0.001			
39	206/1/1/1/23	0.001			
40	206/1/1/1/24	0.001			
41	206/1/1/1/25	0.001			
42	206/1/1/1/26	0.001			
43	206/1/1/1/27	0.001			
44	206/1/1/2	0.001			
45	206/1/1/3	0.001			
46	206/1/2	0.001			
47	206/1/3	0.001			
48	206/1/4	0.001			
49	206/1/5	0.001			
50	206/1/6	0.001			
51	206/1/7	0.001			
52	206/1/8	0.001			
53	206/1/9	0.001			
54	206/1/10	0.001			
55	206/1/11	0.001			
56	206/1/12	0.001			
57	206/1/13	0.001			
58	206/1/14	0.001			
59	206/1/15	0.001			
60	206/1/16	0.001			
61	206/1/17	0.001			
62	206/1/18	0.001			
63	206/1/19	0.001			
64	206/1/20	0.001			
65	206/1/21	0.001			
66	206/1/22	0.001			
67	206/1/23	0.001			
68	206/1/24	0.001			
69	206/1/25	0.001			
70	206/1/26	0.001			
71	206/1/27	0.001			
72	206/1/28	0.001			
73	206/1/29	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
74	206/1/30	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
75	206/1/31	0.001			
76	206/1/32	0.001			
77	206/1/33	0.001			
78	206/1/34	0.001			
79	206/1/35	0.001			
80	206/1/36	0.001			
81	206/1/37	0.001			
82	206/1/38	0.001			
83	206/1/39	0.001			
84	206/1/40	0.001			
85	206/1/41	0.001			
86	206/1/42	0.001			
87	206/1/43	0.001			
88	206/1/44	0.001			
89	206/1/45	0.001			
90	206/1/46	0.001			
91	206/1/47	0.001			
92	206/1/48	0.001			
93	206/1/49	0.001			
94	206/1/50	0.001			
95	206/1/51	0.001			
96	206/1/52	0.001			
97	206/1/53	0.001			
98	206/1/54	0.001			
99	206/1/55	0.001			
100	206/1/56	0.001			
101	206/1/57	0.001			
102	206/1/58	0.001			
103	206/1/59	0.001			
104	206/1/60	0.001			
105	206/1/61	0.001			
106	206/1/62	0.001			
107	206/1/63	0.001			
108	206/1/64	0.001			
109	206/1/65	0.001			
110	206/1/66	0.001			
111	206/1/67	0.001			
112	206/1/68	0.001			
113	206/1/69	0.001			
114	206/1/70	0.001			
115	206/1/71	0.001			
116	206/1/72	0.001			
117	206/1/73	0.001			
118	206/2/1/1/1	0.007			
119	206/2/1/1/2	0.001			
120	206/2/1/1/3	0.001			
121	206/2/1/1/4	0.001			
122	206/2/1/1/5	0.001			
123	206/2/1/1/6	0.001			
124	206/2/1/1/7	0.001			
125	206/2/1/1/8	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
126	206/2/1/1/9	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
127	206/2/1/1/10	0.001			
128	206/2/1/2	0.001			
129	206/2/2/1	0.001			
130	206/2/2/2	0.001			
131	206/2/2/3	0.001			
132	206/2/2/4	0.001			
133	206/2/2/5	0.001			
134	206/2/2/6	0.001			
135	206/2/2/7	0.001			
136	206/2/2/8	0.001			
137	206/2/2/9	0.001			
138	206/2/2/10	0.001			
139	206/2/2/11	0.001			
140	206/2/2/12	0.001			
141	206/2/2/13	0.001			
142	206/2/2/14	0.001			
143	206/2/2/15	0.001			
144	206/2/2/16	0.001			
145	206/2/2/17	0.001			
146	206/2/2/18	0.001			
147	**206/2/2/19**	**0.001**			
148	206/2/2/20	0.001			
149	206/2/2/21	0.001			
150	206/2/2/22	0.001			
151	206/2/2/23	0.001			
152	206/2/2/24	0.001			
153	**206/2/2/25**	**0.001**			
154	206/2/2/26	0.001			
155	206/2/2/27	0.001			
156	**206/2/2/28**	**0.001**			
157	206/2/2/29	0.001			
158	206/2/2/30	0.001			
159	206/2/2/31	0.001			
160	206/2/2/32	0.001			
161	206/2/2/33	0.001			
162	206/2/2/34	0.001			
163	206/2/2/35	0.001			
164	206/2/2/36	0.001			
165	206/2/2/37	0.001			
166	206/2/2/38	0.001			
167	206/2/2/39	0.001			
168	206/2/2/40	0.001			
169	206/2/2/41	0.001			
170	206/2/2/42	0.001			
171	206/2/2/43	0.001			
172	206/2/2/44	0.001			
173	206/2/2/45	0.001			
174	206/2/2/46	0.001			
175	206/2/2/47	0.001			
176	206/2/2/48	0.001			
177	206/2/2/49	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
178	206/2/2/50	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
179	206/2/2/51	0.001			
180	206/2/2/52	0.001			
181	206/2/2/53	0.001			
182	206/2/2/54	0.001			
183	206/2/2/55	0.001			
184	206/2/2/56	0.001			
185	206/2/2/57	0.001			
186	206/2/2/58	0.001			
187	206/2/2/59	0.001			
188	206/2/2/60	0.001			
189	206/2/2/61	0.001			
190	206/2/2/62	0.001			
191	206/2/2/63	0.001			
192	206/2/2/64	0.001			
193	206/2/2/65	0.001			
194	206/2/2/66	0.001			
195	206/2/2/67	0.001			
196	206/2/2/68	0.001			
197	206/2/2/69	0.001			
198	206/2/2/70	0.001			
199	206/2/2/71	0.001			
200	206/2/2/72	0.001			
201	206/2/3/1	0.002			
202	206/2/3/2	0.001			
203	206/2/3/3	0.001			
204	206/2/3/4	0.001			
205	206/2/3/5	0.001			
206	206/2/3/6	0.001			
207	206/2/3/7	0.001			
208	206/2/3/8	0.001			
209	206/2/3/9	0.001			
210	206/2/3/10	0.001			
211	206/2/3/11	0.001			
212	206/2/3/12	0.001			
213	206/2/3/13	0.001			
214	206/2/3/14	0.001			
215	206/2/3/15	0.001			
216	206/2/3/16	0.001			
217	206/2/3/17	0.001			
218	206/2/3/18	0.001			
219	206/2/3/19	0.001			
220	206/2/3/20	0.001			
221	206/2/3/21	0.001			
222	206/2/3/22	0.001			
223	206/2/3/23	0.001			
224	206/2/3/24	0.001			
225	206/2/3/25	0.001			
226	206/2/3/26	0.001			
227	206/2/3/27	0.001			
228	206/2/3/28	0.001			
229	206/2/3/29	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
230	206/2/3/30	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
231	206/2/3/31	0.001			
232	206/2/4	0.004			
233	206/3/1	0.018			
234	206/3/2	0.009			
235	206/3/3	0.001			
236	206/3/4	0.001			
237	206/3/5	0.001			
238	206/3/6	0.001			
239	206/3/7	0.001			
240	206/3/8	0.001			
241	206/3/9	0.001			
242	206/3/10	0.001			
243	206/3/11	0.001			
244	206/3/12	0.001			
245	206/3/13	0.001			
246	206/3/14	0.001			
247	206/3/15	0.001			
248	206/3/16	0.001			
249	206/3/17	0.001			
250	206/3/18	0.001			
251	206/3/19	0.001			
252	206/3/20	0.001			
253	206/3/21	0.001			
254	206/3/22	0.001			
255	206/3/23	0.001			
256	206/3/24	0.001			
257	206/3/25	0.001			
258	206/3/26	0.001			
259	206/3/27	0.001			
260	206/3/28	0.001			
261	206/3/29	0.001			
262	206/3/30	0.001			
263	206/3/31	0.001			
264	206/3/32	0.001			
265	206/3/33	0.001			
266	206/3/34	0.001			
267	206/3/35	0.001			
268	206/3/36	0.001			
269	206/3/37	0.001			
270	206/3/38	0.001			
271	206/3/39	0.001			
272	206/3/40	0.001			
273	206/3/41	0.001			
274	206/3/42	0.001			
275	206/3/43	0.001			
276	206/3/44	0.001			
277	206/3/45	0.001			
278	206/3/46	0.001			
279	206/3/47	0.001			
280	206/3/48	0.001			
281	206/3/49	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
282	206/3/50	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
283	206/3/51	0.001			
284	206/3/52	0.001			
285	206/3/53	0.001			
286	206/3/54	0.001			
287	206/3/55	0.001			
288	206/3/56	0.001			
289	206/3/57	0.001			
290	206/3/58	0.001			
291	206/3/59	0.001			
292	206/3/60	0.001			
293	206/3/61	0.001			
294	206/3/62	0.001			
295	206/3/63	0.001			
296	206/3/64	0.001			
297	206/3/65	0.001			
298	206/3/66	0.001			
299	206/3/67	0.001			
300	206/3/68	0.001			
301	206/3/69	0.001			
302	206/3/70	0.001			
303	206/3/71	0.001			
304	206/3/72	0.001			
305	206/3/73	0.001			
306	206/3/74	0.001			
307	206/3/75	0.001			
308	206/3/76	0.001			
309	206/3/77	0.001			
310	206/3/78	0.001			
311	206/3/79	0.001			
312	206/3/80	0.001			
313	206/3/81	0.001			
314	206/3/82	0.001			
315	206/3/83	0.001			
316	206/3/84	0.001			
317	206/3/85	0.001			
318	206/3/86	0.001			
319	206/3/87	0.001			
320	206/3/88	0.001			
321	206/3/89	0.001			
322	206/3/90	0.001			
323	206/3/91	0.001			
324	206/3/92	0.001			
325	206/3/93	0.001			
326	206/3/94	0.001			
327	206/3/95	0.001			
328	206/3/96	0.001			
329	206/3/97	0.001			
330	206/3/98	0.001			
331	206/3/99	0.001			
332	206/3/100	0.001			
333	206/4/1/1/1	0.005			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
334	206/4/1/1/2	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
335	206/4/1/1/3	0.001			
336	206/4/1/1/4	0.001			
337	206/4/1/1/5	0.001			
338	206/4/1/1/6	0.001			
339	206/4/1/1/7	0.001			
340	206/4/1/1/8	0.001			
341	206/4/1/1/9	0.001			
342	206/4/1/1/10	0.001			
343	206/4/1/1/11	0.001			
344	206/4/1/1/12	0.001			
345	206/4/1/1/13	0.001			
346	206/4/1/1/14	0.001			
347	206/4/1/1/15	0.001			
348	206/4/1/1/16	0.001			
349	206/4/1/1/17	0.001			
350	206/4/1/1/18	0.001			
351	206/4/1/1/19	0.001			
352	206/4/1/1/20	0.001			
353	206/4/1/1/21	0.001			
354	206/4/1/1/22	0.001			
355	206/4/1/1/23	0.001			
356	206/4/1/2	0.001			
357	206/4/1/3	0.001			
358	206/4/2	0.004			
359	206/4/3	0.004			
360	206/4/4	0.004			
361	206/4/5/1/1/1/1	0.002			
362	206/4/5/1/1/1/2	0.001			
363	206/4/5/1/1/1/3	0.001			
364	206/4/5/1/1/1/4	0.001			
365	206/4/5/1/1/1/5	0.001			
366	206/4/5/1/1/1/6	0.001			
367	206/4/5/1/1/1/7	0.001			
368	206/4/5/1/1/1/8	0.001			
639	206/4/5/1/1/1/9	0.001			
370	206/4/5/1/1/1/10	0.001			
371	206/4/5/1/1/1/11	0.001			
372	206/4/5/1/1/1/12	0.001			
373	206/4/5/1/1/1/13	0.001			
374	206/4/5/1/1/1/14	0.001			
375	206/4/5/1/1/1/15	0.001			
376	206/4/5/1/1/1/16	0.001			
377	206/4/5/1/1/1/17	0.001			
378	206/4/5/1/1/1/18	0.001			
379	206/4/5/1/1/2	0.001			
380	206/4/5/2	0.001			
381	206/4/5/3	0.001			
382	206/4/5/4	0.001			
383	206/4/5/5	0.001			
384	206/4/5/6	0.001			
385	206/4/5/7	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
386	206/4/5/8	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
387	206/4/5/9	0.001			
388	206/4/5/10	0.001			
389	206/4/5/11	0.001			
390	206/4/5/12	0.001			
391	206/4/6/1/1	0.001			
392	206/4/6/1/2	0.001			
393	206/4/6/1/3	0.001			
394	206/4/6/1/4	0.001			
395	206/4/6/1/5	0.001			
396	206/4/6/1/6	0.001			
397	206/4/6/1/7	0.001			
398	206/4/6/1/8	0.001			
399	206/4/6/1/9	0.001			
400	206/4/6/1/10	0.001			
401	206/4/6/1/11	0.001			
402	206/4/6/1/12	0.001			
403	206/4/6/1/13	0.001			
404	206/4/6/1/14	0.001			
405	206/4/6/1/15	0.001			
406	206/4/6/1/16	0.001			
407	206/4/6/1/17	0.001			
408	206/4/6/1/18	0.001			
409	206/4/6/1/19	0.001			
410	206/4/6/1/20	0.001			
411	206/4/6/1/21	0.001			
412	206/4/6/1/22	0.001			
413	206/4/6/1/23	0.001			
414	206/4/6/1/24	0.001			
415	206/4/6/1/25	0.001			
416	206/4/6/1/26	0.001			
417	206/4/6/2	0.001			
418	206/4/6/3	0.001			
419	206/4/6/4	0.001			
420	206/4/6/5	0.001			
421	206/4/6/6	0.001			
422	206/4/6/7	0.001			
423	206/4/7/1	0.001			
424	206/4/7/2	0.001			
425	206/4/7/3	0.001			
426	206/4/7/4	0.001			
427	206/4/7/5	0.001			
428	206/4/7/6	0.001			
429	206/4/7/7	0.001			
430	206/4/7/8	0.001			
431	206/4/7/9	0.001			
432	206/4/7/10	0.001			
433	206/4/7/11	0.001			
434	206/4/7/12	0.001			
435	206/4/7/13	0.001			
436	206/4/7/14	0.001			
437	206/4/7/15	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
438	206/4/7/16	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
439	206/4/7/17	0.001			
440	206/4/7/18	0.001			
441	206/4/7/19	0.001			
442	206/4/7/20	0.001			
443	760/1	0.068	0.115		
444	760/2	0.031			
445	760/3	0.031			
446	760/4	0.031			
447	760/5	0.031			
448	760/6/1	0.027			
449	760/6/2	0.004			
450	760/7	0.031			
451	760/8	0.031			
452	760/9/1	0.004			
453	760/9/2	0.001			
454	760/9/3	0.001			
455	760/9/4	0.002			
456	760/4/5	0.001			
457	760/9/6	0.004			
458	760/9/7	0.002			
459	864	0.510	0.065		
460	883/1/1	1.514	0.420		
461	883/1/2	0.032			
462	883/1/3	0.032			
463	883/1/4	0.032			
464	883/1/5/1	0.020			
465	883/1/5/2	0.012			
466	883/1/6	0.032			
467	883/1/7	0.032			
468	883/1/8/1	0.006			
469	883/1/8/2	0.001			
470	883/1/8/3	0.001			
471	883/1/8/4	0.001			
472	883/1/8/5	0.001			
473	883/1/8/6	0.001			
474	883/1/8/7	0.001			
475	883/1/8/8	0.001			
476	883/1/8/9	0.001			
477	883/1/8/10	0.001			
478	883/1/8/11	0.001			
479	883/1/8/12	0.001			
480	883/1/8/13	0.001			
481	883/1/8/14	0.001			
482	883/1/8/15	0.001			
483	883/1/8/16	0.001			
484	883/1/8/17	0.001			
485	883/1/8/18	0.001			
486	883/1/8/19	0.001			
487	883/1/8/20	0.001			
488	883/1/8/21	0.001			
489	883/1/8/22	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
490	883/1/8/23	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
491	883/1/8/24	0.001			
492	883/1/8/25	0.001			
493	883/1/8/26	0.001			
494	883/1/8/27	0.001			
495	883/1/9/1	0.028			
496	883/1/9/2	0.006			
497	883/1/9/3	0.006			
498	883/2/1/1	0.005			
499	883/2/1/2	0.005			
500	883/2/1/3	0.005			
501	883/2/2	0.006			
502	883/2/3	0.006			
503	883/2/4	0.005			
504	883/3/1/1/1/1	0.002			
505	883/3/1/1/1/2	0.001			
506	883/3/1/1/1/3	0.001			
507	**883/3/1/1/1/4**	**0.001**			
508	883/3/1/2	0.005			
509	883/3/1/3	0.005			
510	883/3/1/4	0.005			
511	883/3/1/5	0.005			
512	883/3/1/6	0.005			
513	883/3/1/7	0.005			
514	883/3/1/8	0.005			
515	883/3/1/9	0.005			
516	883/3/1/10	0.002			
517	883/3/1/11/1	0.004			
518	883/3/1/11/2	0.001			
519	883/3/1/12	0.001			
520	883/3/1/13	0.001			
521	883/3/1/14	0.001			
522	883/3/1/15	0.001			
523	883/3/1/16	0.001			
524	883/3/2/1/1	0.001			
525	883/3/2/1/2	0.001			
526	883/3/2/1/3	0.001			
527	883/2/2/1/4	0.001			
528	883/3/2/2	0.001			
529	883/3/3/1	0.004			
530	**883/3/3/2**	**0.001**			
531	883/3/4	0.005			
532	883/3/5	0.005			
533	883/3/6	0.005			
534	883/3/7/1/1	0.002			
535	883/3/7/1/2	0.001			
536	883/3/7/2	0.001			
537	883/3/7/3	0.001			
538	883/3/8	0.005			
539	883/3/9	0.003			
540	883/3/10	0.005			
541	910/1/1	0.060	0.004		

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
542	910/1/2	0.070		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
543	910/1/3	0.060			
544	910/2	0.190			
545	914/1	0.060	0.110		
546	914/2/1/1	0.004			
547	914/2/1/2	0.004			
548	914/2/1/3	0.004			
549	914/2/1/4	0.004			
550	914/2/1/5	0.004			
551	914/2/2/1	0.014			
552	914/2/2/2	0.004			
553	914/2/2/3	0.004			
554	914/2/2/4	0.004			
555	914/2/2/5	0.004			
556	915/1/1/1	0.074	0.190		
557	915/1/1/2	0.002			
558	915/1/1/3	0.002			
559	915/1/1/4	0.002			
560	915/1/1/5	0.004			
561	915/1/1/6	0.004			
562	915/1/1/7	0.004			
563	915/1/1/8	0.004			
564	915/1/1/9	0.004			
565	915/1/1/10	0.004			
566	915/1/1/11	0.004			
567	915/1/1/12	0.002			
568	915/1/2/1	0.036			
569	915/1/2/2	0.020			
570	915/1/2/3	0.002			
571	915/1/2/4	0.002			
572	915/1/2/5	0.004			
573	915/1/2/6	0.004			
574	915/1/2/7	0.004			
575	915/1/2/8	0.004			
576	915/1/2/9	0.004			
577	915/1/2/10	0.004			
578	915/1/2/11	0.004			
579	915/1/2/12	0.004			
580	915/1/2/13	0.004			
581	915/1/2/14	0.004			
582	915/1/2/15	0.002			
583	915/1/2/16	0.002			
584	915/2/1	0.028			
585	915/2/2	0.004			
586	915/2/3	0.004			
587	915/2/4	0.002			
588	915/2/5	0.010			
589	915/2/6	0.010			
590	915/2/7	0.004			
591	915/2/8	0.004			
592	915/2/9	0.002			
593	915/2/10	0.004			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
594	915/2/11	0.004		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
595	915/2/12	0.004			
596	915/2/13	0.004			
597	915/2/14	0.004			
598	915/2/15	0.004			
599	915/2/16	0.004			
600	915/2/17	0.004			
601	915/2/18	0.004			
602	915/2/19	0.004			
603	915/2/20	0.004			
604	915/2/21	0.004			
605	915/2/22	0.004			
606	915/2/23	0.004			
607	915/2/24	0.004			
608	915/2/25	0.004			
69	915/2/26	0.004			
610	915/2/27	0.004			
611	915/2/28	0.004			
612	915/2/29	0.004			
613	915/2/30	0.004			
614	915/2/31	0.004			
615	915/2/32	0.002			
616	915/2/33	0.002			
617	915/2/34	0.002			
618	915/2/35	0.004			
619	915/2/36	0.004			
620	915/2/37	0.004			
621	915/2/38	0.002			
622	915/2/39	0.002			
623	915/2/40	0.002			
624	915/2/41	0.002			
625	915/2/42	0.002			
626	915/2/43	0.002			
627	915/2/44	0.002			
628	915/2/45	0.002			
629	915/2/46	0.002			
630	915/2/47	0.002			
631	915/2/48	0.004			
632	915/2/49	0.004			
633	915/2/50	0.004			
634	915/2/51	0.004			
635	1489/1/1/1	0.006	0.095		
636	1489/1/1/2	0.001			
637	1489/1/1/3	0.001			
638	1489/1/1/4	0.001			
639	1489/1/1/5	0.001			
640	1489/1/2/1	0.007			
641	1489/1/2/2	0.001			
642	1489/1/2/3	0.001			
643	1489/1/2/4	0.001			
644	1489/1/3/1	0.005			
645	1489/1/3/2	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
646	1489/1/3/3	0.003		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
647	1489/1/3/4	0.001			
648	1489/1/4	0.005			
649	1489/1/5	0.005			
650	1489/1/6/1/1	0.005			
651	1489/1/6/2	0.001			
652	1489/1/6/3	0.001			
653	1489/1/6/4	0.001			
654	1489/1/6/5	0.001			
655	1489/1/6/6	0.001			
656	1489/2	0.130			
657	872/2	0.300	0.200		
658	879/1/1	0.445	0.006		
659	879/1/2	0.445			
660	879/1/3/1	0.223			
661	879/1/3/2	0.223			
662	879/2	0.445			
663	882	0.030	0.008		
664	926	0.100	0.002		
665	9/1/1	0.001	0.020		
666	9/1/2	0.001			
667	9/1/3	0.001			
668	9/1/4	0.001			
669	9/1/5	0.001			
670	9/1/6	0.001			
671	9/1/7	0.001			
672	9/1/8	0.001			
673	9/1/9	0.001			
674	9/1/10	0.001			
675	9/1/11	0.001			
676	9/1/12	0.001			
677	9/1/13	0.001			
678	9/1/14	0.001			
679	9/1/15	0.001			
680	9/1/16	0.001			
681	9/1/17	0.001			
682	9/1/18	0.001			
683	9/1/19	0.001			
684	9/1/20	0.001			
685	9/1/21	0.001			
686	9/1/22	0.001			
687	9/1/23	0.001			
688	9/1/24	0.001			
689	9/1/25	0.001			
690	9/1/26	0.001			
691	9/1/27	0.001			
692	9/1/28	0.001			
693	9/1/29	0.001			
694	9/1/30	0.001			
695	9/1/31	0.001			
696	9/1/32	0.001			
697	9/1/33	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
698	9/1/34	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
699	9/1/35	0.001			
700	9/1/36	0.001			
701	9/1/37	0.001			
702	9/1/38	0.001			
703	9/1/39	0.001			
704	9/1/40	0.001			
705	9/1/41	0.001			
706	9/1/42	0.001			
707	9/1/43	0.001			
708	9/1/44	0.001			
709	9/1/45	0.001			
710	9/1/46	0.001			
711	9/1/47	0.001			
712	9/1/48	0.001			
713	9/1/49	0.001			
714	9/1/50	0.001			
715	9/1/51	0.001			
716	9/1/52	0.001			
717	9/1/53	0.001			
718	9/1/54	0.001			
719	9/1/55	0.001			
720	9/1/56	0.001			
721	9/1/57	0.001			
722	9/1/58	0.001			
723	9/1/59	0.001			
724	9/1/60	0.001			
725	9/1/61	0.001			
726	9/1/62	0.001			
727	9/1/63	0.001			
728	9/1/64	0.001			
729	9/1/65	0.001			
730	9/1/66	0.001			
731	9/1/67	0.001			
732	9/1/68	0.001			
733	9/1/69	0.001			
734	9/1/70	0.001			
735	9/1/71	0.001			
736	9/1/72	0.001			
737	9/1/73	0.001			
738	9/1/74	0.001			
739	9/1/75	0.001			
740	9/1/76	0.001			
741	9/1/77	0.001			
742	9/1/78	0.001			
743	9/1/79	0.001			
744	9/1/80	0.001			
745	9/1/81	0.001			
746	9/1/82	0.001			
747	9/1/83	0.001			
748	9/1/84	0.001			
749	9/1/85	0.001			

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
750	9/1/86	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
751	9/1/87	0.001			
752	9/1/88	0.001			
753	9/1/89	0.001			
754	9/1/90	0.001			
755	9/1/91	0.001			
756	9/1/92	0.001			
757	9/1/93	0.001			
758	9/1/94	0.001			
759	9/1/95	0.001			
760	9/1/96	0.001			
761	9/1/97	0.001			
762	9/1/98	0.001			
763	9/1/99	0.001			
764	9/1/100	0.001			
765	9/1/101	0.001			
766	9/1/102	0.001			
767	9/1/103	0.001			
768	9/1/104	0.001			
769	9/1/105	0.001			
770	9/1/106	0.001			
771	9/1/107	0.001			
772	9/1/108	0.001			
773	9/1/109	0.001			
774	9/1/110	0.001			
775	9/1/111	0.001			
776	9/1/112	0.001			
777	9/1/113	0.001			
778	9/1/114	0.001			
779	9/1/115	0.001			
780	9/1/116	0.001			
781	9/1/117	0.001			
782	9/1/118	0.001			
783	9/1/119	0.001			
784	9/1/120	0.001			
785	9/1/121	0.001			
786	9/1/122	0.001			
787	9/1/123	0.001			
788	9/1/124	0.001			
789	9/1/125	0.001			
790	9/1/126	0.001			
791	9/1/127	0.001			
792	9/1/128	0.001			
793	9/1/129	0.001			
794	9/1/130	0.001			
795	9/1/131	0.001			
796	9/1/132	0.001			
797	9/1/133	0.001			
798	9/1/134	0.001			
799	9/1/135	0.001			
800	9/1/136	0.001			
801	9/1/137	0.001			

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकवा हे0 में	अर्जित रकवा हे0 में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
802	9/1/138	0.001		उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
803	9/1/139	0.001			
804	9/1/140	0.001			
805	9/1/141	0.001			
806	9/1/142	0.001			
807	9/2	0.190			
808	38/1	0.080	0.070		
809	38/2	0.080			
810	740/1/1	0.014	0.018		
811	740/1/2	0.004			
812	755	0.060	0.049		
813	759/1	0.083	0.060		
814	867	0.040	0.007		
कुल रकवा		8.240	1.684		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 15 जुलाई 2024

प्र. क्र. 02-अ-82-21-22-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—घाटीगांव

(ग) ग्राम—डंगौरा

(घ) क्षेत्रफल—0.260 हेक्टेयर

सर्वे रकबा	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
104/3	2.017	0.260
योग . .	2.017	0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—करहिया के आरौन व्हाया गौलार घाटी मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 22 जुलाई 2024

प्र. क्र. 3-अ-82-2023-24-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—मोहम्मदपुर

(घ) क्षेत्रफल—0.2606 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
किता 5	0.2606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई टी. एम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरिडॉर / फ्लाईओवर के एकरेखण हेतु ग्राम मोहम्मदपुर के भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 जुलाई 2024

क्र.–1576–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **कोठी**

(ग) नगर /ग्राम – **नौखडखुर्द**

(घ) क्षेत्रफल– 5.0650 हे0

क्र0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे. में
(1)	(2)	(3)
1	2/5	0.0020
2	3/3/1	0.1020
3	3/3/2	0.1950
4	25/1/2	0.1730
5	25/1/3	0.2840
6	25/1/5	0.1280
7	24/2	0.1800
8	23/2/1	0.1900
9	23/2/2	0.1900
10	23/3	0.3850
11	23/4	0.3040
12	22/1	0.3400
13	22/2/1	0.2180
14	22/2/2	0.2680
15	22/4/1	0.2360
16	26/1/2/3/1	0.2710
17	26/1/2/3/2	0.2710
18	31/1	0.2230
19	31/2	0.1250
20	33/1	0.6780
21	33/2	0.3020
	कुल योग रकबा हे. में–	5.0650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसकें लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1653–भू–अर्जन/2024 सतना, दिनांक 23 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम कृष्णगढ़ तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 15.3764 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत खरवाही वितरिका एवं करहीवृत्त माइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम – **कृष्णगढ़**

(घ) क्षेत्रफल– 10.9830 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	198	0.0190
2	483/2	0.0020
3	478	0.0630
4	479/1	0.1800
5	479/2	0.0630
6	503/1/1	0.0970
7	503/1/2	0.0970
8	502/3	0.0970
9	501/1/1	0.0340
10	501/1/2	0.0340
11	501/3	0.0930
12	501/4	0.0340
13	500/2	0.0590
14	500/4	0.0490
15	500/5/1	0.0420
16	500/5/2	0.0420
17	499/2	0.1000

18	499/3	0.1260
19	499/4	0.0060
20	498/6	0.0020
21	498/7	0.0070
22	624/1/1	0.0690
23	624/1/2	0.0830
24	624/1/3	0.0900
25	622/1	0.0300
26	622/2/1	0.0620
27	622/2/2	0.0650
28	620/2	0.0240
29	621/1	0.0040
30	621/2	0.0040
31	619/1	0.0190
32	619/2	0.0420
33	715	0.0490
34	716/1	0.1320
35	1470/1/1	0.0330
36	1470/1/2	0.0150
37	1470/1/3	0.0330
38	1470/2/1	0.0200
39	1471	0.0600
40	1472/1	0.0040
41	1429	0.0160
42	1430	0.0300
43	1412/1/1	0.1000
44	1412/1/2	0.1000
45	1412/2	0.0700
46	1405/1	0.0410
47	1405/2	0.0400
48	1404	0.0550
49	1403/1	0.1400
50	1403/2/1/1	0.0200
51	1403/2/1/2	0.0300
52	1403/2/2	0.1200

53	1395/1	0.0160
54	1395/2	0.0990
55	1400/2	0.0650
56	1397/2	0.1380
57	1402/1	0.0010
58	1402/2	0.0010
59	1396	0.1500
60	926	0.2130
61	1414/1	0.2420
62	1178	0.0380
63	973	0.3000
64	927	0.2330
65	969	0.0920
66	1179/1	0.0180
67	1179/2	0.0180
68	1180	0.0980
69	1171/3/1	0.0980
70	1184	0.2910
71	1186	0.0150
72	1185	0.1200
73	1188	0.0610
74	1242	0.0510
75	1241/1	0.0340
76	197	0.1950
77	1415/1/2/1	0.0010
78	1415/1/2/2	0.0020
79	1415/1/2/3	0.0120
80	1415/2	0.0290
81	1427/1/2	0.1000
82	1427/2	0.1000
83	1428/1	0.0050
84	1432/1	0.0450
85	1432/2	0.0650
86	1433/2	0.0040
87	1433/3	0.0610

88	1448	0.0340
89	1449/1/1	0.0240
90	1449/1/2	0.0240
91	1449/1/3	0.0240
92	1449/2/1	0.0240
93	1449/2/2	0.0240
94	1449/2/3	0.0240
95	1450/1/1	0.0820
96	1450/1/2	0.0620
97	1450/2/1	0.0420
98	1450/2/2	0.0020
99	1450/3	0.0720
100	1431/1/1	0.0960
101	1431/1/2	0.0300
102	1431/2	0.0520
103	476/1	0.1690
104	476/2	0.0730
105	611	0.0440
106	616/2	0.0320
107	618	0.1740
108	718/1	0.3520
109	721/1	0.0080
110	721/2	0.0400
111	721/3	0.5700
112	722/1	0.0680
113	723/1	0.1700
114	723/2	0.0820
115	724/1	0.0080
116	724/2	0.0190
117	725	0.0090
118	726	0.1640
119	790/1	0.0860
120	790/2	0.0630
121	792/2	0.0590
122	777/1	0.0040

123	777/2	0.0670
124	777/3	0.1090
125	774/3	0.0120
126	774/1	0.0830
127	774/2	0.1100
128	775/1	0.1980
129	775/2	0.1790
130	801/1	0.1040
131	801/2	0.1030
132	801/1611	0.0680
133	802/2	0.2070
134	803/1	0.0030
135	929	0.1400
136	932	0.0020
137	934/1	0.0680
138	967	0.0980
139	1115	0.0150
140	1177	0.0670
141	1190/1	0.0390
142	928/1	0.0160
143	928/2/1	
144	928/2/2	
145	1195/1	0.0660
146	1195/2	0.0660
147	1243/1	0.0150
148	1243/2	0.0170
149	1245/2/2	0.0810
150	1256	0.0820
151	933/2	0.0830
152	202	0.1360
153	203/1/1	0.0580
154	203/1/2	
155	203/2	
156	772/2	0.0240
	कुल अर्जित रकबा हे. में	10.9830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं करहीवृत्त माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1654–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला –**सतना**
(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**
(ग) नगर /ग्राम – **इटमा**
(घ) क्षेत्रफल– **4.3280**हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	14	0.2170
2	15/3	0.0190
3	16/2	0.0460
4	16/3	0.0730
5	16/4	0.0460
6	16/5	0.0460
7	16/6	0.0460
8	20/1	0.0725
9	20/2	0.0725
10	28/1	0.2860
11	28/2	0.1180
12	41	0.1860
13	63/2	0.0810
14	57	0.0010
15	62	0.0020
16	58	0.0160
17	59	0.0700
18	55	0.0570
19	54	0.1150
20	53	0.0640
21	108	0.0350
22	107	0.0250
23	109	0.1660
24	130	0.0480
25	129	0.0020

26	128	0.0840
27	125	0.0760
28	126/2	0.1090
29	119/2	0.1280
30	150/2	0.0200
31	150/3	0.0260
32	150/6	0.1400
33	150/7	0.1300
34	151	0.1440
35	148/1	0.0760
36	162/328/1	0.1940
37	156/327/1	0.0850
38	156/327/2	0.0870
39	162/325	0.1580
40	159	0.2440
41	160/1	0.1570
42	160/2	0.1310
43	189/1	0.0330
44	170	0.2340
45	168	0.1620
कुल योग		4.3280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ0मु0 मैहर जिला मैहर म0प्र0 द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की रीवा शाखा नहर (24 से 33 कि0मी) के अतंर्गत खरवाही वितरिका की रामपुर माइनर एवं बढ़ौरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1655–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर /ग्राम – **महुड़र**

(घ) क्षेत्रफल– **2.0240**हे0

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	233/1	0.0450
2	196	0.0280
3	194	0.0940
4	195	0.0420
5	181	0.0470
6	179	0.0490
7	178/2	0.0440
8	174	0.0730
9	175	0.0150
10	172/1	0.0330
11	158	0.0390
12	155	0.0100
13	142	0.0050
14	154	0.0020
15	146/2	0.0540
16	127/1	0.0890
17	127/2/1	
18	127/2/2	
19	127/2/3	
20	128	0.0640
21	84	0.0670

22	83	0.0480
23	82/1	0.0180
24	86/1	0.0310
25	87/1	0.0220
26	87/2	
27	87/3/1	
28	87/3/2	
29	88/1	0.0730
30	95	0.1110
31	94/1	0.0600
32	94/2	0.0210
33	96/16	0.0450
34	97	0.0250
35	55	0.0390
36	54	0.0570
37	53/1	0.0100
38	53/2	0.0260
39	52/2	0.0140
40	48/1	0.0600
41	48/2	
42	51/1	0.0350
43	51/2	0.0180
44	49	0.0380
45	50	0.0030
46	45	0.0790
47	44/2	0.0060
48	647	0.1660
49	648	0.0450
50	649	0.0450
51	652	0.0880
52	651	0.0410
कुल योग		2.0240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ0मु0 मैहर जिला मैहर म0प्र0 द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39 कि0मी0) के अतंर्गत महुड़र माइनर नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1656–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर /ग्राम –त्योंधरा नं.–2

(घ) क्षेत्रफल– 2.6230 हे0

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	744/6	0.0190
2	734/6	0.1490
3	734/7	0.0130
4	722/1/2	0.1300
5	722/2	0.0080
6	724	0.1250
7	690/2/1	0.2320
8	648	0.0840
9	649/1	0.0800
10	649/2	0.0070
11	657	0.0740
12	655	0.0010
13	656	0.0280
14	621	0.0900
15	623/2	0.0780
16	618	0.0350
17	617	0.1010
18	616	0.2480
19	414/1	0.0050
20	414/2	0.0060
21	477	0.0620
22	474	0.0860
23	557/1/2	0.0090
24	557/2	0.0020

25	554/1	0.0690
26	554/2	0.0040
27	553/1	0.0610
28	553/2	0.0610
29	572/2	0.0160
30	552	0.0600
31	549/1	0.0300
32	551	0.0020
33	550/1	0.0120
34	550/2	0.0050
35	530	0.2630
36	531/2	0.0400
37	526	0.0960
38	512/801/1/1	0.0080
39	512/801/1/2	0.0910
40	512/801/2	0.0640
41	511/1/2	0.0650
42	513/1	0.0040
	कुल रकबा हे.में	2.6230

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के त्योंधरा माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1657–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **कोठी**

(ग) नगर /ग्राम – **गुलुवा**

(घ) क्षेत्रफल– 9.5910 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	604	0.2000
2	640/1	0.0380
3	640/2	0.1150
4	643/1	0.0880
5	643/2/2	0.0590
6	643/3/1	0.0570
7	643/3/2	0.0360
8	641/1	0.3370
9	641/2	0.0020
10	638/2	0.0020
11	635	0.0290
12	633/1	0.0080
13	663	0.2950
14	666/1	0.2460
15	666/3	0.1390
16	666/4	0.1050
17	665	0.0020
18	597/1	0.0450
19	597/2	0.0450
20	462	0.1550
21	461/1/1	0.0040
22	461/23	0.0730
23	460/1/1	0.2640

24	460/1/2	0.4610
25	458	0.0640
26	459	0.0540
27	426/2/1/1/1/1/1	0.1300
28	426/2/1/1/1/2	0.1300
29	425/3	0.0240
30	422/1	0.4670
31	422/2	
32	422/3	0.4100
33	366/1	0.0250
34	366/2	0.1020
35	366/3/1	0.1050
36	367/1/1/1	0.2290
37	367/1/1/3	0.0630
38	367/2/1/1	0.0310
39	365	0.0260
40	378	0.0280
41	376/1/2/2	0.1020
42	379/1/1/1/1/2	0.0330
43	379/1/1/1/3/1	0.2780
44	379/1/1/1/3/2	0.2540
45	379/1/1/2	0.0120
46	408/4	0.0020
47	408/5	0.3700
48	408/6	0.2430
49	408/8	0.0950
50	403/1	0.0830
51	403/2	0.0630
52	547/2	0.3100
53	546	0.0840
54	551/1	0.1390
55	551/2	0.4840
56	587	0.0100
57	598/2	0.0750
58	599/1	0.0940
59	599/2	0.0950
60	603/1	0.0050

61	603/2/1	0.0250
62	606/1/1	0.1150
63	606/1/2	0.1390
64	606/2/1	0.0490
65	606/2/3	0.0490
66	605/1/1	0.0490
67	605/1/3	0.0520
68	605/2	0.1150
69	545/3/1	0.5410
70	541	0.1530
71	542	0.0340
72	543	0.0630
73	423	0.0130
74	457/1/2	0.0250
75	457/3/1	0.0800
76	457/3/2	0.0180
77	636/1	0.2420
78	636/2	0.0880
79	639/1/2	0.2010
80	639/2	0.0120
81	651	0.0040
	कुल योग रकबा हे में–	9.5910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1658–भू–अर्जन/2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम जमुनिया 159 तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 5.1568 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत खरवाही वितरिका एवं जमुनिया कला माइनर–1 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम – जमुनिया 159

(घ) क्षेत्रफल– 3.6010 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	130	0.0310
2	37/1/1	0.0570
3	9/1	0.0160
4	9/2	0.0900
5	7/1	0.0180
6	7/2	0.0300
7	6/3	0.0800
8	16/1/1/1/1	0.1490
9	16/1/1/1/1/3	0.1740
10	16/1/1/1/2	0.0360
11	16/2	0.0040
12	16/3	0.0570
13	16/5	0.0970
14	16/7	0.1440
15	16/10	0.0700
16	16/11	0.0730
17	19/1/2	0.0650
18	19/2	0.2940

19	140	0.1680
20	142	0.0280
21	139/2/2	0.0160
22	12/2	0.2300
23	39/1	0.2240
24	39/2/1	0.1620
25	39/2/2	0.1610
26	39/3	0.0520
27	132/2	0.3040
28	38/1	0.0600
29	38/2	0.0850
30	21	0.0550
31	16/19/3	0.2820
32	31	0.0230
33	24	0.1770
34	143/2	0.0890
	कुल रकबा हे.में	3.6010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं जमुनिया कला माइनर –1 के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1659–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर /ग्राम –उमरी उर्फ शिवराजी

(घ) क्षेत्रफल– 2.6970 हे0

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे. में
(1)	(2)	(3)
1	430	0.1070
2	432/1/2	0.1130
3	433	0.1870
4	434/1	0.0720
5	434/2	0.0730
6	435	0.0790
7	436	0.0690
8	437/1/2	0.0360
9	438	0.0950
10	439/1	0.0490
11	439/2/1	0.0490
12	440	0.0750
13	319/1120/1	0.0510
14	319/1120/2	0.0510
15	319/1120/3	0.0960
16	396	0.3140
17	395	0.0410
18	394	0.0490
19	386/1	0.0210
20	328/1140/1/1	0.0570
21	328/1140/1/3	0.0040
22	328/3	0.0620
23	329/2	0.0870

24	331	0.0260
25	333/1	0.0140
26	333/2	0.0140
27	334	0.0250
28	335	0.0290
29	336/1	0.0660
30	337/1	0.0540
31	337/2	0.0720
32	348/2	0.0330
33	345	0.0420
34	346/1	0.0230
35	346/2/1	
36	346/2/2	
37	346/3	
38	344	0.0010
39	343/1	0.0610
40	343/2	
41	343/3	
42	342	0.0440
43	1255/1	0.0370
44	1255/2	0.0370
45	1254/1/2	0.1210
46	1253/1	0.1610
	कुल रकबा हे. में	2.6970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के पड़रिया वितरिका की त्योंधरी माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1660–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला –**सतना**
(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**
(ग) नगर /ग्राम –महुड़र
(घ) क्षेत्रफल– 0.4460 हे0

क्र.	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे. में
(1)	(2)	(3)
1	393	0.0450
2	390/1	0.1130
3	390/2/1	
4	390/2/2	
5	391/1	0.0330
6	391/2	
7	389/2/1	0.0360
8	389/2/2	0.0500
9	387/1	0.0560
10	387/2	0.1130
	कुल रकबा हे.में	0.4460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1661–भू–अर्जन/2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम कुड़िया तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 8.6504 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर–2 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम – कुड़िया

(घ) क्षेत्रफल– 5.1170 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	97/1	0.0560
2	97/2	0.1010
3	81/1/1	0.0030
4	88	0.2000
5	2/3/7	0.1670
6	8	0.1950
7	35/1/1	0.0770
8	35/2/1	0.1850
9	35/2/2	0.1460
10	95/2	0.0680
11	95/3	0.0070
12	76	0.1120
13	77/1	0.1340
14	53/1/1/1	0.0810
15	53/1/1/2	0.0530
16	53/1/1/3	0.0520
17	53/2/1	0.0700

18	131/1	0.1800
19	89/1/1	0.1210
20	89/1/2/2	0.0610
21	89/3/1	0.0700
22	89/3/2	0.0780
23	82/1	0.0450
24	82/2	0.0740
25	82/3	0.0170
26	82/4	0.1470
27	17/2/1/1	0.1010
28	17/2/1/2	0.0920
29	17/2/2	0.1940
30	17/3/1	0.2180
31	17/3/2	0.0210
32	9/1/1	0.2200
33	9/2/1	0.0320
34	9/2/2	0.2420
35	34	0.1050
36	18	0.0360
37	52/1	0.1160
38	19/3	0.1200
39	43/3	0.2020
40	94/2	0.1980
41	94/3	0.0850
42	130/1	0.0260
43	130/2	0.0480
44	130/3/1	0.0760
45	130/3/2/1	0.0420
46	48/1/1	0.0600
47	48/1/2	0.0200
48	44/1/1	0.0600
49	44/1/2/1	0.2830
50	57/1	0.0200
	कुल रकबा हे.में	5.1170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुड़िया माइनर –2 के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1662–भू–अर्जन/2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम बिहरा क्रमांक–2 तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 8.4744 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम – बिहरा क्रमांक–2

(घ) क्षेत्रफल– 5.6330 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	606/2/1	0.0020
2	427	0.0440
3	412/2/1	0.0200
4	414/1	0.0420
5	414/2	0.0420
6	414/3	0.0170
7	414/4	0.0170
8	387/1	0.0240
9	393	0.0530
10	390	0.0610
11	339	0.0010
12	452	0.0360
13	438/4	0.0250
14	432	0.0010
15	431/2	0.0350
16	367/1	0.0200
17	367/2	0.0400

18	245/2	0.0040
19	353	0.0200
20	356	0.0850
21	354	0.0360
22	350	0.0280
23	351/1	0.0160
24	351/2	0.0600
25	346/1	0.0140
26	346/2	0.0140
27	289/2/1	0.0010
28	288/1/2/2	0.0070
29	78/3	0.2000
30	79/1	0.0260
31	79/2	0.0140
32	79/3	0.0280
33	80/2	0.0020
34	81/1	0.1970
35	81/2	0.0760
36	82	0.0160
37	435/2	0.0470
38	436/1	0.0160
39	436/2	0.0560
40	69/1	0.1120
41	69/2	0.1120
42	69/3	0.1120
43	290	0.0610
44	394/1	0.0840
45	376	0.0560
46	377/1	0.0340
47	377/2	0.0560
48	306/3/2	0.0320
49	307/2/1	0.3370
50	307/2/2	0.0430
51	578/2/2	0.1410
52	426	0.1140

53	597/3	0.0680
54	72/2	0.4580
55	73/1	0.0080
56	73/2	0.0080
57	75	0.0900
58	76/1	0.0960
59	76/2	
60	76/3	
61	76/4	
62	581/1/1/2	0.0100
63	581/1/2	0.1530
64	355	0.0240
65	297	0.0280
66	298/1	0.0410
67	298/2	0.0140
68	579/1/2	0.0110
69	580/1/2	0.1440
70	580/3	0.0080
71	291	0.0400
72	292	0.0470
73	293	0.0020
74	294	0.0020
75	295/1	0.0730
76	403/1	0.0230
77	403/2	0.0370
78	403/3	0.0370
79	403/4	0.0370
80	403/5	0.0370
81	430	0.0680
82	433	0.0440
83	378/1	0.0950
84	318/1	0.0430
85	434	0.0110
86	337/2	0.1120
87	338/3	0.0020

88	405/1/3	0.0040
89	405/1/5	0.0080
90	406/1/2	0.0080
91	406/1/3	0.0260
92	406/1/5	0.0260
93	406/2	0.0650
94	410	0.0390
95	411	0.0760
96	340	0.0190
97	341	0.0410
98	342/1	0.0320
99	365	0.0420
100	366/1	0.0560
101	366/2	0.0230
102	366/3	0.0060
103	302	0.0340
104	305/2	0.0220
105	345	0.0790
106	347/1	0.1240
107	391/1	0.0850
108	391/2/1	
109	391/2/2	
110	391/2/3	
111	391/2/4	
112	391/2/5	
113	391/2/6	
114	391/3/1	
115	391/3/2	
116	77/1	0.0800
117	77/2	0.0400
118	308/1	0.0200
119	308/2	0.0200
120	343/1	0.0250
121	343/2	0.0250
	कुल रकबा हे.में	5.6330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1664–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर /ग्राम –मझियार उन्मूलन

(घ) क्षेत्रफल– 3.7490 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	20	0.0300
2	3	0.1540
3	4/2	0.0300
4	22/2	0.0060
5	21/1	0.0350
6	21/2	0.0040
7	19	0.0070
8	99/2/2	0.2300
9	106	0.0730
10	104	0.0300
11	111	0.0580
12	112	0.0320
13	113/1	0.0320
14	113/2	0.0280
15	114	0.0300
16	115	0.0080
17	116	0.0360
18	118	0.0020
19	147/2/2/1	0.0620
20	147/2/2/2	0.1080
21	169/1/1	0.0310
22	169/1/2	0.0310
23	169/1/3	0.0320
24	169/1/4	0.0320
25	169/2	0.1130
26	181/2	0.0280
27	177/1	0.0230

28	177/2/1	0.0640
29	178/1	0.0520
30	178/2	0.0520
31	178/3	0.0490
32	178/4	0.0490
33	180	0.0160
34	246/1/2	0.0080
35	246/1/3	0.1020
36	246/1/4	0.0760
37	245/1	0.0040
38	247/2	0.1220
39	248/1	0.0060
40	248/2	0.0220
41	256	0.0800
42	255	0.0580
43	254	0.0580
44	259/2/2	0.2210
45	260	0.0820
46	266/1/1	0.1290
47	266/1/2	0.1310
48	266/2/1	0.1010
49	266/2/2	0.0970
50	265/1/1	0.0100
51	267/2/2	0.0300
52	269	0.2140
53	270	0.0240
54	287	0.2010
55	288	0.1920
56	289/2	0.0100
57	314/1	0.0240
58	117/334	0.0040
59	105	0.0210
60	2/1	0.1040
61	2/2	0.0510
	कुल रकबा हे.में	3.7490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के बैजनहा वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1665–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर /ग्राम – **खलेसर**

(घ) क्षेत्रफल– 4.9030 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	119	0.0120
2	78/4	0.1580
3	71/2	0.0080
4	70/2	0.2510
5	40/1/1	0.3960
6	40/1/3	0.1900
7	5	0.2120
8	4/2	0.1700
9	9	0.0080
10	3	0.3280
11	118	0.1600
12	12/1	0.1510
13	12/2	0.1440
14	96/1/1/1/1/2/1	0.0650
15	96/1/1/1/1/2/2	0.1510
16	96/1/1/1/2/2	0.1510
17	96/1/2/1/2	0.1570
18	96/1/2/1/3	0.1420
19	96/1/2/2/1	0.0910
20	98/1	0.0920
21	76/1	0.0440

22	76/2	0.0440
23	76/3	0.0440
24	10/1	0.2010
25	10/2	0.1420
26	10/3	0.2290
27	79/3	0.2630
28	79/4/1	0.1190
29	8/2	0.1450
30	11	0.0040
31	88/1	0.3230
32	89	0.1380
33	117/3	0.0040
34	117/4	0.1370
35	117/5	0.0290
	कुल रकबा हे.में	4.9030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं कुड़िया माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1666–भू–अर्जन/2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 2.8261 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 28.04.2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28.04.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.04.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम – चोरहटा

(घ) क्षेत्रफल– 2.5699 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	775	1.0538
2	776/1	0.0100
3	776/2	0.0100
4	776/3	0.0100
5	776/4	0.0100
6	776/5	0.0100
7	777/1	0.0380
8	777/2	0.0380
9	777/3	0.0380
10	777/4	0.0380
11	777/5	0.0380
12	780/1	0.0372
13	779/1	0.0520
14	778/1	0.0980
15	778/2	0.0980

16	778/3	0.0980
17	778/4	0.0980
18	778/5	0.0980
19	773	0.0310
20	768	0.1609
21	781/1576	0.4700
22	796/1/2	0.0050
23	796/1/3	0.0170
24	796/3	0.0130
	कुल रकबा हे.में	2.5699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1667–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर /ग्राम – **मौहारी कटरा**

(घ) क्षेत्रफल– **6.4790**हे0

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	78/1	0.3000
2	78/2	
3	77/1	0.1410
4	77/2	
5	75	0.0600
6	84/1	0.1280
7	85/1	0.0280
8	81	0.0160
9	82/1	0.0200
10	111	0.1210
11	110	0.0890
12	126	0.1120
13	131/1	0.0820
14	131/2	0.0100
15	130	0.0740
16	137	0.1470
17	142	0.0130
18	147/1	0.0080
19	146/1	0.0640
20	146/2	0.0410
21	145	0.0640
22	163	0.0880
23	164	0.0040
24	171/1	0.0020

25	171/2	0.0160
26	172/1	0.0270
27	172/2	0.0440
28	184/1	0.0110
29	184/2	0.0350
30	184/3	0.0230
31	183/1	0.0020
32	183/2	0.0160
33	182/1	0.0040
34	182/2	0.0200
35	182/3	0.0040
36	180/1	0.0070
37	180/2	0.0150
38	180/3	0.0160
39	180/4	0.0080
40	181	0.0180
41	196	0.1530
42	206/2/1	0.0100
43	206/2/2/1	0.1250
44	206/2/2/2	0.0160
45	225/1/1	0.1700
46	225/2/1	0.2940
47	225/4/1	0.0160
48	225/5	0.0450
49	225/6	0.0320
50	260/1	0.0630
51	260/2	0.0630
52	257/1	0.0280
53	257/2	0.0280
54	258/1	0.0640
55	258/2	0.0640
56	253	0.0170
57	252	0.1050
58	251	0.0050
59	259/1	0.0720
60	259/2	0.0720

61	256/1	0.0240
62	256/2	0.0240
63	255/1	0.0200
64	255/2	0.0200
65	277/1	0.0050
.66	277/2	0.0070
67	277/3/1	0.0740
68	277/3/2	0.0740
69	277/4	0.0090
70	277/5	0.0400
71	279/2	0.0010
72	280	0.0360
73	280/2	0.0360
74	280/3/1	0.1300
75	281	0.0840
76	281/2	0.0840
77	284/2	0.1690
78	328/1/3	0.3120
79	364	0.1840
80	363	0.0260
81	360	0.4170
82	358/1/1	0.0030
83	359/1/1	0.0010
84	369/1	0.0300
85	369/2	0.0610
86	371/1	0.0020
87	370/1	0.1340
88	370/2	0.0750
89	373/2	0.0890
90	409	0.2990
91	410/2	0.0080
92	387/1/1	0.0460
93	387/1/2	0.0460
94	383/2	0.1420
95	387/2	0.1290
96	388	0.0130

97	386	0.0520
98	390	0.1080
99	385	0.0060
100	391	0.0740
101	389	0.0650
कुल योग		**6.4790**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ0मु0 मैहर जिला मैहर म0प्र0 द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39 कि0मी0) के अतंर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1668–भू–अर्जन/2024.–चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर /ग्राम – **बिरसिंहपुर**

(घ) क्षेत्रफल– **0.2610**हे0

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	4/1	0.0650
2	4/2	0.0650
3	5/1	0.0660
4	5/2	0.0260
5	5/3	0.0260
6	5/4	0.0130
कुल योग		**0.2610**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ0मु0 मैहर जिला मैहर म0प्र0 द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39 कि0मी0) के अतंर्गत सेमरिया माइनर 2 नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1669–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर. /ग्राम – **कर्पवाह भाइप**

(घ) क्षेत्रफल– 1.5620 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3
1	28/2	0.0340
2	27	0.1500
3	25	0.0160
4	24	0.1300
5	23/1/1	0.0190
6	23/1/2	0.0190
7	23/1/3	0.0190
8	21	0.0360
9	17	0.0960
10	12/1/1/1	0.1000
11	12/1/1/2	0.1000
12	12/1/2	0.0910
13	12/2/1/1	0.1000
14	12/2/1/2	0.0250
15	14	0.0120
16	10	0.1940
17	3/1/2/8	0.2830
18	2/1/1	0.0350
19	2/1/2	0.0780
20	2/2	0.0250
	कुल रकबा हे.में	1.5620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं चौरा माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–1671–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **रामपुर बाघेलान**

(ग) नगर /ग्राम – **सेमरिया**

(घ) क्षेत्रफल– **0.8290**हे0

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	880/1/ख	0.0700
2	880/1/ग	0.3250
3	888/2	0.1660
4	889/1	0.0400
5	889/2	0.0400
6	889/3	0.0390
7	886/1	0.1490
कुल योग–		**0.8290**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ0मु0 मैहर जिला मैहर म0प्र0 द्वारा बरगी व्यपवर्तन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39 कि0मी0) के अतंर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.–94–भू–अर्जन–2024 मैहर, दिनांक 19 जुलाई 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1– भूमि का वर्णन :–

(क) जिला : मैहर
(ख) तहसील : मैहर
(ग) ग्राम : घोरवई
(घ) अर्जित क्षैत्रफल : **4.797** हेक्टेयर

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे0)
1	120	0.042
2	125/1	0.272
3	125/2	
4	133/1	0.010
5	134/2	0.031
6	522/1	0.011
7	522/2	0.090
8	522/3	0.011
9	524	0.126
10	525	0.066
11	527/3/1	0.139
12	527/3/2	0.052
13	589/3/1	0.021
14	590/2	0.078
15	592	0.030
16	594	0.010
17	598/1	0.030
18	599	0.120
19	604	0.021
20	605/1	0.010
21	605/2	0.071
22	620/1/1	0.010
23	621/1	0.035
24	621/2	0.083
25	622	0.030
26	623/1/1	
27	623/1/2	
28	623/2/1	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे0)
66	700/1	0.010
67	700/2	
68	700/3	
69	703	0.076
70	704	0.010
71	706	0.020
72	786	0.030
73	787	0.101
74	789	0.010
75	790	0.014
76	791	0.095
77	437/2	0.020
78	672/1	0.297
79	673	0.020
80	675/1/1	0.337
81	675/1/5/1	
82	675/1/2	
83	675/1/5/2	
84	675/1/3	
85	675/1/5/3	
86	675/1/4	
87	675/1/5/4	
88	678/1	0.030
89	740/1/1	0.368
90	740/1/2	
91	740/2/1	
92	740/2/2	
93	740/3/1	

29	623/2/2	0.207
30	623/2/3	
31	623/2/4	
32	623/3	
33	624/3	0.010
34	625/1/1	0.272
35	625/1/2/1	
36	625/1/2/2	
37	627/1/2/1	0.015
38	627/1/2/2	
39	645/2	0.010
40	646/1	0.036
41	646/2	0.100
42	658/1/1	0.076
43	658/2	0.011
44	694/1	0.010
45	694/2	
46	695/1/1	0.126
47	695/1/2	
48	695/1/3	
49	695/2/1	
50	695/2/2	
51	695/2/3	
52	695/3	
53	697/1	0.140
54	697/2	
55	697/3	
56	698/1	0.076
57	698/2/2	
58	698/2/3	
59	698/4	
60	699/1	0.090
61	699/2/1	
62	699/2/2	
63	699/2/3	
64	699/3	
65	699/4	
94	740/3/2	
95	740/3/3	
96	740/4/1	
97	740/4/2	
98	741	0.010
99	742	0.050
100	748/1/1	0.020
101	748/1/2	
102	748/2/1	
103	748/2/2	
104	748/3/1	
105	748/3/2	
106	748/3/3	
107	748/4/1	
108	748/4/2	
109	754/2/1	0.060
110	754/2/2/1	0.121
111	754/2/2/2	0.031
112	754/2/3	0.090
113	756/1/1	0.021
114	757/1	0.226
115	757/2	
116	757/3	
117	757/4	
118	757/5	
119	757/6	
120	757/7	
121	760	0.081
122	761/1	0.015
123	761/2	0.015
124	763	0.010
125	764	0.031
निजी खाता भूमि योग रकवा–		4.797

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है – बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी व माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है।

प्र. क्र.–95–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

1– भूमि का वर्णन :–

(क) जिला : मैहर

(ख) तहसील : मैहर

(ग) ग्राम : बंधी

(घ) अर्जित क्षैत्रफल : **5.721** हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे0)
1	263/2	0.021
2	264	0.136
3	266	0.115
4	265	0.690
5	136/1	0.240
6	136/2	
7	136/4	
8	136/3	0.356
9	137/1/1	0.011
10	137/1/3	0.073
11	150/1	0.031
12	170/1	0.171
13	170/2	0.080
14	171	0.031
15	172/1/1	0.084
16	172/1/2	
17	172/1/3	
18	172/2	0.146
19	175	0.073
20	176/1	0.188
21	176/2	0.042

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0)
39	302	0.042
40	303/1/1	0.010
41	303/1/2	
42	303/1/3	
43	303/2	0.035
44	303/3	0.035
45	304	0.230
46	305	0.157
47	306	0.010
48	312/1	0.021
49	312/2	0.063
50	313	0.074
51	315	0.052
52	316	0.084
53	317	0.042
54	319	0.105
55	601/1	0.115
56	601/2	0.021
57	602/1	0.032
58	602/2	0.052
59	605/1	0.125

22	177/3	0.031		60	605/2	0.126
23	257/1/1/1	0.371		61	608	0.032
24	257/1/1/2			62	609/1	0.167
25	257/1/1/3			63	609/2	
26	257/1/2			64	610	0.188
27	257/2/1/1			65	613	0.021
28	257/2/1/2			66	614/1	0.150
29	257/2/2/1			67	614/2	0.046
30	257/2/2/2			68	614/3	0.142
31	257/2/3			69	614/4	
32	258/1	0.021		70	615/1	0.102
33	258/2/1/1			71	615/2	0.042
34	258/2/1/2			72	615/3	0.102
35	258/2/2			73	616	0.010
36	287	0.021		74	627	0.021
37	288	0.293		75	628	0.032
38	289	0.010		निजी खाता भूमि योग रकवा –		5.721 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है – बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है।

प्र. क्र.–96–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

- भूमि का वर्णन :–

(क) जिला : **मैहर**

(ख) तहसील : **मैहर**

(ग) ग्राम : **वरौह**

(घ) **अर्जित क्षैत्रफल** : **1.587** हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0मे0)
1	144/1/1/1	0.627
2	144/1/2/1	
3	144/1/3/1	
4	144/1/1/2	
5	144/1/2/2	
6	144/1/3/2	
7	144/1/1/3	
8	144/1/2/3	
9	144/1/3/3	
10	144/2	
11	145/1	0.052
12	145/2	
13	145/3	
14	146	0.072
15	148	0.010
16	163/1/1	0.282
17	163/1/2	
18	163/1/3	
19	163/1/4	
20	163/2/1	
21	163/2/2	
22	163/3	
23	167/1/1	0.115

24	167/1/1/1/1/2	0.031
25	167/1/1/1/1/3	0.011
26	167/1/1/1/2	0.167
27	167/1/3	0.073
28	167/2/4	0.126
29	172/1	0.021
	निजी खाता भूमि योग रकवा–	1.587 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है – बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है।

प्र. क्र.–97–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

1– भूमि का वर्णन :–

(क) जिला : मैहर
(ख) तहसील : मैहर
(ग) ग्राम : घोरवई
(घ) अर्जित क्षैत्रफल : 10.315 हेक्टेयर

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे0)
1	86	0.042
2	92/1/1	0.396
3	92/1/2/1	
4	92/1/2/2	
5	92/2/1/1	0.158
6	92/2/1/2	0.546
7	92/2/2	
8	97/1	0.115
9	98	0.021

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे0)
45	461/1	0.125
46	466	0.021
47	467/2	0.073
48	467/3	0.073
49	468/1	0.059
50	468/2	0.035
51	469/1	0.082
52	469/2	0.038
53	470	0.100

10	99/2/1/1	1.380
11	99/2/1/2	
12	99/2/2/1	
13	99/2/2/2	
14	99/2/2/3	
15	99/2/2/4	
16	99/2/2/5	
17	99/2/3/1	
18	99/2/3/2	
19	99/4/1/2	
20	99/4/1/3	
21	99/4/2	
22	100/1/1	0.052
23	100/1/2	
24	120	0.021
25	121	0.280
26	122	0.042
27	123	0.230
28	125/2	1.240
29	126	0.230
30	128	0.074
31	129	0.210
32	133/1	0.010
33	133/2/2	0.032
34	134/1/1	0.090
35	134/2	0.570
36	434	0.300
37	435/1/1	0.960
38	435/1/2	
39	435/2/1/1	
40	435/2/1/2	
41	435/2/1/3	
42	435/2/2	
43	435/2/3	
44	407/2	0.084
54	471	0.052
55	472	0.021
56	478	0.209
57	479	0.021
58	511/3	0.021
59	513	0.031
60	514	0.011
61	515	0.010
62	516	0.240
63	517	0.188
64	518/1	0.021
65	518/2	0.063
66	519/1	0.032
67	519/2	0.073
68	536/1	0.240
69	536/2/1	
70	536/2/2	
71	537	0.221
72	538/1/1	0.010
73	538/1/2	0.220
74	538/2	0.050
75	539	0.010
76	542/1	0.220
77	543	0.105
78	544/1	0.021
79	545	0.084
80	546	0.200
81	547	0.136
82	548	0.032
83	549/1	0.011
84	549/2/1	
85	549/2/2	
86	549/2/3	
87	550/1	0.063
88	550/2	0.010
	निजी खाता भूमि योग रकवा –	10.315 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है – बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है।

प्र. क्र.–98–भू–अर्जन–2024.–चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

1– भूमि का वर्णन :–

(क) जिला : **मैहर**

(ख) तहसील : **मैहर**

(ग) ग्राम : **सलैया**

(घ) अर्जित क्षेत्रफल : **11.581** हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे0)		स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे0)
1	73/1	0.115		126	946/2	0.010
2	78/2	0.010		127	947/1/1	0.127
3	79	0.042		128	947/1/2	0.086
4	80	0.115		129	947/2	0.150
5	83/1/1/1	0.763		130	948	0.010
6	83/1/1/2			131	961/1	0.061
7	83/1/1/3			132	961/2	0.061
8	83/1/2			133	962/1/1	0.133
9	83/2			134	962/1/2	
10	84/1/1/1	0.073		135	962/2/1	
11	84/1/1/2			136	962/2/2	
12	109	0.125		137	962/2/3	
13	110/1/3	0.492		138	962/2/4	
14	110/1/4			139	966/1	0.022
15	110/1/5			140	966/2	
16	110/1/6			141	966/3	
17	111/1	0.031		142	966/4	
18	147	0.209		143	966/5	
19	148	0.230		144	967/1	0.037
20	149	0.010		145	967/2	
21	150/1	0.303		146	967/3	
22	150/2			147	967/4	
23	150/3			148	968/1	0.020
24	151/1	0.146		149	968/2/1	0.019

25	151/2			150	968/2/2	0.019
26	151/3			151	969/1	0.025
27	166/1	0.010		152	969/2	0.021
28	166/2			153	980	0.072
29	166/3			154	1041/1	0.064
30	167/2/2	0.073		155	1041/2	
31	167/2/3			156	1041/3	
32	167/3	0.252		157	1179/973/1/1	0.151
33	167/4/1	0.052		158	1179/973/1/2	0.100
34	167/4/2	0.084		159	1179/973/2	0.050
35	167/4/3	0.020		160	1179/973/3	0.050
36	169/1	0.303		161	310/1/1	0.021
37	169/2			162	310/1/2	
38	169/3			163	310/2	
39	169/4			164	310/3/1/1	
40	169/5/1			165	310/3/1/2	
41	169/5/2			166	310/3/1/3	
42	976	0.251		167	310/3/1/4	
43	980	0.439		168	310/3/1/5	
44	977/1	0.076		169	310/3/2	
45	977/2	0.076		170	311/1/1	0.130
46	977/3	0.076		171	311/1/2	
47	977/4	0.075		172	311/2	
48	978	0.032		173	323/1/1	0.061
49	981/1/1	0.251		174	323/1/2	
50	981/1/2			175	323/2/1/1	
51	981/1/3			176	323/2/1/2	
52	981/2/3			177	323/2/1/3	
53	981/2/1			178	323/2/2	
54	981/2/2			179	323/2/3	
55	982	0.209		180	325/1	0.050
56	983/1	0.178		181	325/2	
57	984/4/1	0.157		182	327/1	0.021
58	984/4/2	0.292		183	327/2	
59	985/1	0.026		184	328/1	0.173
60	985/2	0.026		185	328/2	
61	985/3	0.026		186	343/1/1	0.026
62	985/4	0.026		187	343/1/2	
63	985/5	0.026		188	343/1/3	
64	985/6	0.005		189	343/2/1	
65	988/1	0.057		190	343/2/2	
66	988/2	0.058		191	364/1	0.021
67	1000/1	0.010		192	364/2	

68	1000/2			193	364/3	
69	1005/2/1	0.449		194	364/4/1	
70	1006/1/2	0.576		195	364/4/2	
71	1006/1/3			196	365	0.043
72	1006/2/2			197	368	0.010
73	534/1	0.173		198	600	0.103
74	534/2/1			199	605	0.055
75	534/2/2			200	606/1	0.040
76	534/3/1			201	606/2	
77	534/3/2			202	606/3	
78	535/1	0.018		203	606/4	
79	535/2/1			204	612	0.010
80	535/2/2			205	615/1	0.017
81	535/3/1			206	619/1	0.094
82	535/3/2			207	619/2	0.070
83	540/3	0.010		208	622/1	0.010
84	541/1	0.011		209	622/2	
85	541/2/1			210	622/3	
86	541/2/2			211	623/1	0.022
87	542/1	0.248		212	623/2	
88	542/2/1			213	623/3	
89	542/2/2			214	624/1	0.055
90	542/2/3			215	624/2/1	
91	544/1/1	0.011		216	624/2/2	
92	544/1/2			217	624/2/3	
93	544/1/3			218	631	0.032
94	544/1/4/1			219	632	0.020
95	544/1/4/2			220	633	0.042
96	544/2			221	668/1	0.010
97	556/1	0.075		222	668/2	
98	557/1	0.075		223	669	0.035
99	557/2			224	671/2/1/1	0.028
100	560	0.021		225	863/1/1	0.095
101	873/1	0.010		226	863/1/2/1	
102	873/2			227	863/1/2/2	
103	902/2	0.022		228	863/1/2/3	
104	903/1	0.061		229	863/2/1	
105	903/2	0.061		230	863/2/2	
106	904/2	0.045		231	864/1/1	0.164
107	905/1	0.190		232	864/1/2/1	
108	905/2/1			233	864/1/2/2	
109	906/1	0.040		234	864/1/2/3	
110	906/2	0.018		235	864/2/1	

111	907	0.021		236	864/2/2	
112	908	0.010		237	947/2	0.026
113	919	0.067		238	953/1	0.120
114	920/2	0.045		239	953/2	
115	924/1	0.124		240	953/3	
116	924/2	0.010		241	953/4	
117	924/3	0.010		242	954/1	0.062
118	935	0.058		243	954/2	0.025
119	936/1	0.010		244	955/1	0.053
120	1154/937/1	0.062		245	955/2	
121	937/1			246	955/3	
122	937/3	0.042		247	611/1/1	0.072
123	1154/937/3			248	611/1/2	
124	938	0.034		249	611/2/1	
125	941	0.040		250	611/2/2	
					निजी भूमि खाता योग रकवा–	11.581 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है – बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी व माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 4895–अ.वि.अ.–भू–अर्जन–2024 प्र.क्र. 01–अ–82–2024–25 जूनी इंदौर, दिनांक 24 जुलाई 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक–01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक–1 में इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु–बंधन योजना अंतर्गत फ्लाई ओवर निर्माण हेतु में तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर के ग्राम निरंजनपुर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका भू स्वामीवार, खसरावार विवरण अनुसूची क्रमांक–2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास्न और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची–2 की भूमि की अनुसूची–1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
इन्दौर	जूनी इन्दौर	निरंजनपुर	0.38982	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम इन्दौर	इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु–बंधन योजना अंतर्गत 6 लेन फ्लाई ओवर निर्माण हेतु

अनुसूची–2
(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम–निरंजनपुर, तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर					
स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कं. पता इन्दौर	412/1/2	0.2300	0.04540	व्यावसायिक
2	यास्मिन मलिक पति शब्बीर हुसैन मलिक, मुफद्दल मलिक, हाशिम मलिक पिता स्व. शब्बीर हुसैन ताहेर अली मलिक, बुरहानुद्दीन ताहेर मलिक, इसहाक मलिक,मुस्तफा मलिक पिता स्व. ताहेरअली मलिक, अजरा पति रौनक पुत्री स्व. ताहेरअली मलिक, बानुबाई पति स्व. ताहेरअली मलिक पता निरंजनपुर, इन्दौर	412/1/1	0.5790	0.04290	व्यावसायिक
3	यास्मिन मलिक पति स्व. शब्बीर हुसैन मलिक, मुफदद्ल मलिक, हाशिम मलिक पिता स्व. शब्बीर हुसैन ताहेर अली मलिक, बुरहानुद्दीन ताहेर मलिक, इसहाक मलिक,मुस्तफा मलिक पिता स्व. ताहेरअली मलिक, अजरा पति रौनक पुत्री स्व. ताहेरअली मलिक, बानुबाई पति स्व. ताहेरअली मलिक पता निरंजनपुर, इन्दौर	412/2	1.0110	0.11240	आवासीय
4	डायमण्ड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया तर्फे पार्टनर दरबारीलाल, सेवाराम, श्यामलाल, केवलदास, कृपाराम सिंधी पता इन्दौर	412/3	0.8090	0.07140	व्यावसायिक

5	मेसर्स, आर.आर. इंडस्ट्रीज प्रा.लि. धन्नालाल कोठी चांदनी चौक दिल्ली, विनोदप्रसाद लालन, राधाकिसन पता 20 मनोरमागंज इन्दौर	412/4/1	0.8090	0.06340	आवासीय
6	मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर वल्लभ भाई पिता नारायण भाई पटेल, पता 97 महारानी रोड़, इन्दौर	412/4/2/1	0.0800	0.00840	आवासीय
7	मेसर्स, आदिनाथ डेवलपर्स तर्फे भागीदार आशीष हंसराज जी पता 6 बी ,एस. टॉवर पलासिया, इन्दौर	412/5	0.4620	0.00440	कृषि
8	मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़, इन्दौर	412/6	0.0880	0.00850	व्यावसायिक
9	मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़, इन्दौर	412/7	0.0620	0.00510	आवासीय
10	मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर	412/8	0.0650	0.00500	व्यावसायिक
11	मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर	412/9	0.0600	0.00510	व्यावसायिक
12	मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर	412/10	0.0840	0.00620	व्यावसायिक
13	मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर	412/11	0.1880	0.01140	व्यावसायिक
14	रामचन्द्र पिता मोतीलाल दीक्षित पता 185, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर	412/4/2/2	0.2550	0.00022	आवासीय
योग				**0.38982**	

इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु–बंधन योजना अंतर्गत 6 लेन फ्लाई ओवर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, अनुभाग जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर तथा संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम लि., संभाग इन्दौर (म.प्र.) के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10–अ–82–2023–24–भू–अर्जन ग्वालियर, दिनांक 15 जुलाई 2024

सार्वजनिक सूचना

भूमि क्रयनीति की कंडिका 11(1)के अन्तर्गत

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.14 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये सामय–सामय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। इस नीति के अंतर्गत म0प्र0 राज्य शासन की परियोजना टिकटौली माईक्रो सिंचाई योजना निर्माण हेतु ग्राम हस्तिनापुर तहसील तानसेन जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.566 हे0 की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है, तथा इसके भूमि स्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप– ख में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही हैं कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं यादि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो, तो वह सार्वजानिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेंगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला–ग्वालियर तहसील–तानसेन ग्राम हस्तिनापुर अर्जित रकबा 0.566 है0

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान	खसरा नं.	कुल क्षे0(हैं0में)	कुल अर्जित क्षें0 हैं0 में	अन्य सम्पत्ति	अन्य संरचना
1	2	3	4	5	6	7
1	सोमवती पत्नि बाबूलाल जाति जाटव, निवासी–ग्राम आरौली	407/1	0.950	0.266	— —	— —
2	ओमप्रकाश पुत्र, मवासी जाति धोवी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	408/1	0.960	0.300	—	—
	कुल	02	1.910	0.566	—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

क्र. 8289–भू–अर्जन–2024

हरदा, दिनांक 10 जून 2024

-:सार्वजनिक सूचना:-

(म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

चूंकि म.प्र. शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम लोक निर्माण विभाग की बारंगा से कांकरिया सड़क निर्माण में भूमि की आवश्यकता होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 अंतर्गत निर्धारित "प्ररूप-ख" में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति अंतर्गत भूमि, विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय या भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया के न्यायालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला-हरदा, तहसील खिरकिया, ग्राम बारंगा, कुल अर्जित रकबा 0.354 है.

क्रमांक	भूमिस्वामि का नाम व पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)			अन्य संपत्ति
				सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा	64	0.174	0.089	0	0.089	सागौन वृक्ष-20
2	श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा	66/1	1.675	0.113	0	0.113	बांस-10
3	श्रीमती केसर बाई बेवा मोतीलाल, निवासी बारंगा	109	0.073	0.073	0	0.073	सागौन वृक्ष-30
4	श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा	74	0.154	0.079	0	0.079	बांस-05
	योग:-		2.076	0.354	0	0.354	

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, हरदा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 10070–भू–अर्जन–2024 हरदा, दिनांक 15 जुलाई 2024

(म.प्र.शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

चूँकि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, उपसंभाग, बैतुल के माध्यम से जिला हरदा में ग्राम पहटकला से ढोलगांवकला ग्राम के बीच सयानी नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में आ रही निजी भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्राप्त होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी द्वारा नीति की कंडिका-10 अंतर्गत निर्धारित प्ररूप "ख" में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर, कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उनपर किसी भी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला-हरदा, तहसील सिराली, प.ह.नं.20, मौजा ढोलगांवकला

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			अन्य संपत्ति
				सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रूख्मणीबाई पत्नी रामचंद, जाति कुम्हार	38/5	0.405	0.075 ha	00	0.075 ha	निरंक

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग भोपाल के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आदित्य सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 02–अ–82–2023–24 राजगढ़, दिनांक 19 जुलाई 2024

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना **तहसील ब्यावरा एवं जिला राजगढ़ का ग्राम–परसूलिया** के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची (1) :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	परसूलिया	0.756
	कुलयोग :–	**0.756**

–: अनुसूची (2) :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :– ग्राम परसूलिया

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद पिता सालगराम जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/2/4	1.265	0.180
	योग :–	**1**	**1.265**	**0.180**
2	लाल्या पिता छीता जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/4/1	0.266	0.130
	योग :–	**1**	**0.266**	**0.130**
3	आत्माराम पिता लाल्या जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/8	0.500	0.066
	योग :–	**1**	**0.500**	**0.066**
4	भंवरलाल, रमेश, जगदीश पिता नाथू जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/6	0.784	0.205
	योग :–	**1**	**0.784**	**0.205**
5	प्रभूलाल पिता देवीराम जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/11/1	0.350	0.075
	योग :–	**1**	**0.350**	**0.075**
6	श्यामाबाई पति मिश्रीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/12/1	0.590	0.040
	योग :–	**1**	**0.590**	**0.040**
7	ललित पिता रामचंदर जाति बलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी	1/13	0.650	0.060
	योग :–	**1**	**0.650**	**0.060**
	महायोग :–	**7**	**4.405**	**0.756**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 328–भू–अर्जन–2024

देवास, दिनांक 29 जुलाई 2024

[अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,अधिनियम,2013 (क्र.30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ**"नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चेम्बर, निर्माण"** के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम **रंधनखेडी,**तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में **कुल 2.2900** हेक्टेयर,भूमि अपेक्षित है, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन **0.003332 हेक्टेयर,**भूमि है,जो ग्राम **रंधनखेडी** तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
1	1471	निजी भूमि	सिंचित	0.003332	ओमप्रकाश पिता चंदरसिंह खाती				
			योग	0.003332					

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
–	–

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नही है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 331–भू–अर्जन–2024

[अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,अधिनियम,2013 (क्र.30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ"**नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चेम्बर, निर्माण**' के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम **बरखेडा,तहसील** टोंकखुर्द जिला देवास में **कुल 0.5400** हेक्टेयर,भूमि अपेक्षित है, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन **0.000576 हेक्टेयर,**भूमि है,जो ग्राम **बरखेडा** तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
1	461/1/1	निजी भूमि	सिंचित	0.000576	लक्ष्मीचंद्र पिता मॉगीलाल खाती आदि				
			योग	0.000576					

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
–	–

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नही है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 339–भू–अर्जन–2024

[अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,अधिनियम,2013 (क्र.30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ"**नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चेम्बर, निर्माण**" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम **चिडावद,तहसील टोंकखुर्द** जिला देवास में **कुल 0.2600** हेक्टेयर,भूमि अपेक्षित है, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन **0.000576 हेक्टेयर**,भूमि है,जो ग्राम **चिडावद** तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

क्रं. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
1	1406	निजी भूमि	सिंचित	0.000576	1–राधेश्याम पिता रामचंद्र खाती, 2–लक्ष्मीनारायण पिता सांवत खाती				
			योग	0.000576					

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
–	–

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नही है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. री.1–2024

उज्जैन, दिनांक 31 जुलाई 2024

प्रारूप 'ख'

(नियम–5 का उपनियम (2))

क्रमांक 0001 /अ–82/2024–25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा–क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक–5 सन् 2013) की धारा–3 की उपधारा (1) हेतु ग्राम कस्बा उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8, सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईप लाईन डक्ट बिछाये जाये और अतएव राज्य सरकार उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक–5, सन् 2013) की धारा–3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होते इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	आर.ओ.यू. (फसल)	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित/असिंचित
01.	जगदीश पिता कन्हैयालाल	1251	0.523	0.096	0.0096	सिंचित
02.	रतनलाल कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ	1253, 1278/2, 1273, 1250/1, 1249/3	2.028, 0.314, 0.2931, 1.432, 0.074	0.266, 0.146, 0.198, 0.196, 0.02	0.0266, 0.0146, 0.0198, 0.0196, 0.002	सिंचित
03	गोपाल गोशाला	1270	2.46	0.326	0.0326	सिंचित
04	नंदराम बाबूलाल गोरधनलाल पिता रणछोड	1284/2	0.721	0.276	0.026	सिंचित
05	पी.डी. अग्रवाल इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर प्रभुदयाल पिता गोरेलाल	1266	2.832	0.05	0.005	सिंचित
	कुल	05		1.574	0.1558	

सत्यनारायण सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 30 जुलाई 2024

क्र. भू.अ.–56–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

(1) **भूमि का वर्णन**

(क) जिला – मण्डला
(ख) तहसील – घुघरी
(ग) ग्राम – मचला (पट. हल्का नं.–31)
(घ) क्षेत्रफल – 16.227 हेक्टेयर

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा (हे. में)	अर्जित रकवा (हे.में)
1	सुमरत पिता अकलू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/1	0.500	0.020
2	प्रेमवती पति लखन जाति गौंड पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/2	0.200	0.080
3	सुकलो बाई पिता गौठल जाति गौंड पता मडला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197/1	0.400	0.720
4	सोनू पिता गोठू सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू भददोबाई पुत्री गोठू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197/2	0.440	
5	कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197/3	0.490	
6	सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197/4	0.440	
7	हीरालाल पिता जीवन जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	197/5	0.450	
8	हीरासिंह पिता नन्हू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मण्डला म0प्र0 भूमि स्वामी	198/2	0.310	0.130
9	हरेसिंह पिता धांधू जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	199	0.230	0.230
10	सरस्वती बेवा फागूलाल, कालीचरण पिता फागूलाल, दुर्गावती पुत्री फागूलाल, सेवकली पुत्री फागूलाल पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	200	0.460	0.460
11	फूलसिंह पिता धांधू जाति गोंड़ पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	201	0.410	0.410
12	पनकू पिता अकाली जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	202	1.450	1.450
13	सुकलो बाई पिता गौठल जाति गौंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/1	0.100	0.100

14	सोनू पिता गोठू, सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू, भददोबाई पुत्री गोठू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/2	0.180	0.180
15	कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/3	0.250	0.250
16	सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/4	0.180	0.180
17	हीरालाल पिता जीवन जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/5	0.180	0.180
18	सुकलो बाई पिता गौठल जाति गोंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	243/1	0.100	0.100
19	कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	243/2	0.080	0.080
20	सुकलो बाई पिता गौठल जाति गोंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245/1	0.570	0.570
21	सोनू पिता गोठू, सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू, भददोबाई पुत्री गोठू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245/2	0.490	0.490
22	कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245/3	0.570	0.570
23	सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245/4	0.560	0.560
24	लेखराम पिता रामलाल जाति गोड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	246	1.500	0.720
25	बल्कू पिता दोदल जाति गोंड पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	249/1	2.100	1.340
26	बलसिंह पिता जोहर जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	249/2	0.800	0.060
27	लखनसिंह पिता इमरत जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	251	1.130	1.130
28	फूलचंद पिता मनलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमि स्वामी	252/1	0.170	0.170
29	मलसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमि स्वामी	252/2	0.380	0.380
30	फूलचंद पिता मनलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमि स्वामी	252/3	0.200	0.200
31	धनसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमि स्वामी	252/4	0.370	0.037
32	तुलसीराम पिता बिहारी जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	253/1	0.320	0.320
33	काशीराम पिता पतिराम, श्रीलाल पिता पतिराम, श्रीवती पिता पतिराम जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	253/2	0.320	0.320

34	बुधनीबाई पिता सोनूलाल, झंगलूसिंह पिता सोनूलाल, सुकलाल पिता सोनूलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	254	0.160	0.160
35	दलसिंह पिता परदेशी, दशरथ पिता परदेशी जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	255	0.720	0.210
36	बुधसिंह पिता सदाराम जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	256/1	0.680	0.680
37	फुन्दीलाल पिता गेंदलाल जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	256/2	0.340	0.050
38	फूलसिंह पिता गेंदलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	256/3	0.330	0.110
39	प्रेमसिंह पिता दादूलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	257/1	0.750	0.400
40	प्रेमलाल पिता बैशाखू जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	257/3	0.370	0.080
41	बराती पिता गेंदू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	259/1	0.960	0.010
42	रामकुमार पिता गेंदू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	259/2	1.450	0.850
43	गनपत पिता अघनू, रूपसिंह पिता अघनू, रामवती पिता अघनू, सामाबाई पुत्री बल्ली, मत्तिबाई पिता बल्ली जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	260	1.230	0.980
44	सुमरत पिता अकलू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	261	2.970	0.760
45	मुन्नालाल पिता गनेशा, चैती बाई पुत्री गनेशा जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म.प्र. भूमि स्वामी	267/1/1	1.210	0.050
46	सुमारू पिता रामा जाति गोंड़ पतां मचला घुघरी मंडला म.प्र. भूमि स्वामी	267/1/2	1.210	0.450
कुल किता एवं योग		**46**	**28.710**	**16.227**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है– अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू.अ.–56–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला – मण्डला

(ख) तहसील – घुघरी

(ग) ग्राम – पीपरदर्रा (पट. हल्का नं.–25)

(घ) क्षेत्रफल – **48.690 हेक्टेयर**

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा (हे. में)	अर्जित रकवा (हे. में)
1	गुलजार पिता छरकू, रावनी पिता छरकू, मनकी पिता छरकू, झनकी पिता छरकू जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भमि स्वामी	220	6.570	5.870
2	बहादुर सिंह पिता झंगलू, सहादुर सिंह पिता झंगलू सासोबाई पिता झंगलू, सोहनिया पिता झंगलू जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भमि स्वामी	221	1.030	0.730
3	गुहीबाई बेवा समारी, राजकुमार पिता समारी अंजलीबाई पुत्री समारी जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	222/1	3.320	2.450
4	रूकमणी बाई पति संतकुमार धुर्वे जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	222/2	0.400	0.400
5	फूलवती बेवा दलपत जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	233	2.380	0.450
6	दलपल पिता चैतू, अमरवती पुत्री चैतू, कमला पुत्री चैतू, गनपत पिता चैतू, फुन्दोबाई बेवा नोखेलाल, मुलिया पुत्री चैतू, राजेन्द्र पिता दलहल, विमला पुत्री चैतू, रेखाबाई पिता नोखेलाल जाति गोंड पता मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	234/1	3.300	0.020
7	अशोक पिता बुद्धू सिंह, मायाबाई बेवा संतोष, सरोज पुत्री बुद्धसिंह दुर्गा पति बुद्धसिंह नम्रता नाबालिग पुत्री संतोष संरक्षक मायाबाई, स्वरा नाबालिग पुत्री संतोष संरक्षक मायाबाई, अमन नाबलिग पुत्र संतोष संरक्षक मायाबाई जाति गौंड पता घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	234/2	3.000	2.900
8	सरोज पति प्रेमसिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	234/3	0.290	0.020
9	डुमारिन पति झाडू, डुमरे पिता चैतू गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	256	2.530	1.220
10	सुन्दरिया पत्नी लक्ष्मण, गरभू पिता लक्ष्मण, अमरूसिंह पिता लक्ष्मण, अमरसिंह पिता लक्ष्मण जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	260	3.410	1.700
11	बालकुमार पिता गूहासिंह, रूकमणी पुत्री गूहासिंह, शंकारी बेवा जेठू, शिवरतन पुत्र जेठू, प्रेमवती बेवा गुहासिंह, बालसिंह पिता गुहासिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	261	0.440	0.440
12	सूब्बेसिंह पिता सहबू जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	262	3.620	3.620

13	सुकरती बेवा शंकर, हीरासिंह पिता शंकर जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	263	0.420	0.420
14	भागोबाई पिता पचलू, कोमली पिता हट्टू, बैसाखीबाई, पुत्री हट्टू, रमिहिया पुत्री हट्टू जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	264	1.130	1.130
15	रामवती पति देवसिंह जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	266	0.180	0.180
16	अमृत पिता बिसाहू पनकू पिता अमरसिंह अ.प.बड़ा पिता अमरत जाति गौंड़ पता घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	272/1	0.900	0.900
17	प्यारेलाल पिता दरयाब जाति अहीर पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	272/2	0.750	0.750
18	परसू पिता मानसिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	274	1.240	1.240
19	बसंतराव पिता बल्जू जाति गोंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	276	0.460	0.460
20	बिरसिंग पिता गांडा, कोयली पिता गांडा, जुग्गो पिता गांडा, मतिया पिता गांडा जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	277	0.590	0.590
21	जेन्तलाल पिता देवसिंह, कलीराम पिता देवसिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	279/1	1.350	1.350
22	सेवकराम पिता बारेलाल जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	279/2	1.300	1.300
23	विद्याचरन पिता बारेलाल जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	279/3	1.300	1.300
24	बल्लो बाई बेवा बारेलाल जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	279/4	1.300	1.300
25	सहबू पिता चैतू जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	282/1	3.430	3.430
26	बलजू पिता चैतू जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	282/2	3.440	2.830
27	बल्लो बाई बेवा बारेलाल जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	283/1	3.780	3.430
28	जेंतलाल पिता देवसिंह, कलीराम पिता देवसिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	283/2	0.850	0.150
29	गेंदलाल पिता बुद्धू सिंह, जाति गौंड़ पता पीपरदर्रा घुघरी मण्डला म0प्र0 भूमि स्वामी, धनीराम पिता बुद्धू सिंह जाति गौंड़ पता पीपरदर्रा घुघरी मण्डला म0प्र0 भूमि स्वामी	285	3.740	2.780
30	समरकली बेवा सिंधीलाल, राजेश पिता सिंधीलाल, संजू पिता सिंधीलाल, संतोष पिता सिंधीलाल पतिराम पिता धन्नू, सुनिया बेवा धन्नू, जीराबाई पिता धन्नू कोयली बाई पिता धन्नू पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	293/1	0.880	2.120
31	द्रोपती बाई पिता बलकू जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	293/2	1.800	
32	समारू पिता अमरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	293/3	0.520	
33	सुमारू पिता अमरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	293/4	0.400	
34	रज्जेसिंह पिता चन्दरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/1	0.580	0.580
35	मंगलसिंह पिता गौड़ा, भद्दो पुत्री गौड़ा जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/2	0.580	0.580
36	फूलमा बेवा फागू, शहरवती पिता फागू जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/3	0.570	0.490
37	आनंदी पिता माहू, सोहनिया पिता माहू, तारा पिता माहू, नन्हिया पिता माहू जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	295	1.360	1.360
38	बिरसिंग पिता गांडा, कोयली पिता गांडा, जुग्गो पिता गांडा, मतिया पिता गांडा जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	625	0.200	0.200
कुल किता एवं योग		38	63.340	48.690

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है– अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू.अ.–56–2023–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

(1) **भूमि का वर्णन**

(क) जिला – मण्डला
(ख) तहसील – घुघरी
(ग) ग्राम – पिपरिया रैयत (पट.हल्का नं.– 32)
(घ) क्षेत्रफल – **2.570 हेक्टेयर**

सं.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा (हे. में)	अर्जित रकवा (हे.में)
1	बल्कू पिता दोदल, अमरत पिता हल्कू, दादूलाल पिता बारेलाल जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	365	2.310	0.160
2	सुन्दर पिता डुमार, फुन्दोलाल पिता डुमार फुरिया पिता डुमार, पुनिया पिता डुमार, कुन्दो पिता डुमार जाति अहीर पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	399	1.480	0.650
3	भगोता पिता पाना जाति गौंड़ पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	401/1	0.340	0.340
4	मिटठन, चन्द्रेश, प्रभू, चेतराम पिता लेखराम, खुशबू नाबालिग, दिलशन नाबालिग पिता दिलीप संरक्षक दिलीप, जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	401/2	0.380	0.380
5	भगोताबाई पिता पाना जाति गौंड़ पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	403/1	0.520	0.520
6	मिटठन, चन्द्रेश, प्रभू, चेतराम पिता लेखराम, खुशबू नाबालिग, दिलशन नाबालिग पिता दिलीप संरक्षक दिलीप, जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	403/2	0.520	0.520
कुल किता एवं योग		**6**	**5.550**	**2.570**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है– अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना, पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2024

क्र.–B–2805–दो–2–16–2010.– श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 1 से 16 जुलाई 2024 तक, सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 28 (बी) एवं नियम 29 (1–अ) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–2807–दो–2–11–2024.– श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 16 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–2809–दो–2–33–2018.–श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक–3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.–B–2811–दो–2–44–2015.–डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2022 से 28 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.–B–2813–दो–2–49–2021.– श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक को 3 से 10 जून 2024 तक, के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक–3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक–3666–इक्कीस–ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.–B–2815–दो–2–28–2022.– सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मन्दसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक–3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.–B–2817–दो–2–13–2024.– श्री आर.के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.–C–4968–दो–2–56–2021.– श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून से 3 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.–C–4970–दो–2–17–2024.– श्री आशुतोष मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक, के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 18 जून 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशुतोष मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–4972–दो–2–101–2017.– श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 1 से 19 जुलाई 2024 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–4974–दो–2–5–2023.– श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 20 से 22 जून 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 23 से 29 जून 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–4976–दो–2–30–2020.– श्री अफसर जावेद खान, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इन्दौर को दिनांक 22 से 28 जून 2024 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक–3– (ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1–ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक–3666–21–ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.–C–4978–दो–3–55–2022.– श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 8 से 13 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–4980–दो–2–55–2017.– सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 8 से 10 जुलाई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.–C–4982–दो–2–15–2019.–श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 10 से 12 जून 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–4984–दो–3–21–2021.–श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 13 से 19 जुलाई 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–4986–दो–2–31–2017.–श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते,तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2024

क्र.–A–5248–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी–2011, दिनांक 11 अप्रैल 2018 एवं आदेश क्रमांक ए–3579, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 निरस्त किया जाता है.

क्र.–A–5250–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब(एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार– श्री के. के. त्रिपाठी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को उनके खाते में 155 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 454 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(i)	अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	155 दिवस
(ii)	अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	290/2= 145 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

क्र.–A–5252–दो–2–62–2016.–श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 28 से 29 जून 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–A–5256–दो–2–46–2023.–श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12 से 14 जून 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–A–5258–दो–2–37–2020.–श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 23 से 27 जुलाई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–A–5260–दो–2–18–2024.–श्री सुरेश सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 12 से 20 जुलाई 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–A–5263–दो–2–22–2022.–श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 11 से 15 जुलाई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.–B–2937–दो–2–16–2024.–सुश्री सरिता वाधवानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2024 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री सरिता वाधवानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सरिता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

Ø-&B–2940–दो–2–40–2019.–श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 22 से 29 जून 2024 तक, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नही जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–2942–दो–2–57–2020.–श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 13 से 16 जुलाई 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.–B–2944–दो–2–58–2010.–श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 14 से 28 जून 2024 तक, पन्द्रह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून 2024 से दिनांक 1 जुलाई 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली मुख्यालय, बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते,तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–5174–दो–2–61–2021.–श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2024 के एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 जून से 4 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–5177–दो–2–30–2024.–श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जून 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवंत सिंह यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–5179–दो–2–58–2010.–श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 24 मई से 1 जून 2024 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुन 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–5182–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री आर. के. एस. गौतम, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई–5020, दिनांक 11 जुलाई 2017 निरस्त किया जाता है.

क्र.–C–5184–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री आर. के. एस. गौतम, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री आर. के. एस. गौतम की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके खाते में 237 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 609 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(i)	अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	237 दिवस
(ii)	अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	126 / 2= 63 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.–C–5186–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी–4123, दिनांक 21 जून 2023 निरस्त किया जाता है.

क्र.–C–5188–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के

सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री पंकज गौड़, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को उनके खाते में 242 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 520 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(i)	अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	242 दिवस
(ii)	अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	116 / 2= 58 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.–C–5190–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 30 नवम्बर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी–2949, दिनांक 7 जुलाई 2023 निरस्त किया जाता है.

क्र.–C–5192–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री राम प्रकाश मिश्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को उनके खाते में 272 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 384 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(i)	अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	272 दिवस
(ii)	अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	56 / 2= 28 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.–C–5194–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री ऋषभ कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए–668, दिनांक 27 फरवरी 2021 निरस्त किया जाता है.

क्र.–C–5196–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री ऋषभ कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री ऋषभ कुमार सिंघई की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को उनके खाते में 270 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 552 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(i)	अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	270 दिवस
(ii)	अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान	–	60 / 2= 30 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, डी.आर–कम–पी. पी. एस.

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2024

क्र.–C–5139.– रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी–1438 जबलपुर, दिनांक 4 मई 2024 " जहां तक उसका संबंध अनुक्रमांक 07 श्री विश्वास जोशी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) खण्डपीठ ग्वालियर को मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर अस्टिेंट रजिस्ट्रार (एम.) के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने से हैं " को उनके द्वारा मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना में कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति आदेश निरस्त किया जाता है.

मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, BENCH GWALIOR

No. 13082 Gwalior, the 23rd July 2024

NOTICE FOR WITHDRAWAL OF ELECTION PETITION NO. 09/2014

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

ELECTION PETITION NO. 09/2014

HARI SINGH RAGHUWANSHI 'BADDA'
VS.
NISHANK KUMAR JAIN AND OTHERS

WHEREAS this date was fixed for hearing the above Election Petition on IA no. 3732/2024 for withdrawal of the petition.

Hon'ble Court ordered for publication of notice in official Gazette of State of M.P. for calling upon objections from general public in respect of withdrawal of Election Petitiion.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH GWALIOR THIS 23rd DAY OF JULY 2024.

Sd./-
Principal Registrar

IN THE HIGHCOURT OF MADHYA PRADESH

AT GWALIOR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE SANJEEV S KALGAONKAR

ELECTION PETITION No.09 OF 2014

HARI SINGH RAGUVANSHI

VERSUS

NISHANK KUMAR JAIN AND ORS.

APPEARANCE-

(SHRI SHIVAM SHARMA ON BEHALF OF SHRI DEEPAK KHOT- ADVOCATES FOR THE PETITIONER)

(SHRI NAVAL KISHOR GUPTA- ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.1)

Reserved on : 08.07.2024
Pronounced on : 19.07.2024

This petition having been heard and reserved for order, coming on for pronouncement this day, Justice Sanjeev S Kalgaonkar pronounced the following:

ORDER

This election petition under Section 80 of the Representation of the People Act is filed for declaring the election of respondent No.1 Nishank Kumar Jain as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly, 145 Basoda Constituency to be void and also declaring the petitioner as duly elected Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from the same constituency.

The petition *inter alia* states that he has submitted his nomination

form in the general election of Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2013, for the Constituency No.145 Basoda in District Vidisha. Respondent No.1 also submitted his nomination papers on 07.11.2013. He has deliberately concealed the fact that he being a Director of Vijya Bank was holding the office of profit and as such, he is disqualified from contesting the election. Respondent No.1 was a Director of Vijya Bank and he was also indicted in various Committees of the Bank as member. He has received remuneration from Vijya Bank. Therefore, he was holding an office of profit under the Government. Respondent No.1 was ineligible for being elected as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly by concealing aforementioned fact. Respondent No.1 has obtained votes by corrupt practice, therefore, his election as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from 145 Basoda Constituency is illegal and void. It is prayed that election of respondent No.1 be declared to be void and petitioner be declared as duly elected Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from 145 Basoda Constituency.

During pendency of this election petition, sole petitioner submitted I.A. No.3732/2024, an application for withdrawal of election petition along with the affidavit of petitioner Harisingh Raghuvanshi. It is stated in the petition that in recently conducted election of Madhya Pradesh Legislative Assembly, petitioner has been elected as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly. He does not wish to prosecute the petition and wish to withdraw the same. Therefore, the proceedings may be concluded and petitioner may be permitted to withdraw the election petition.

The notice of withdrawal of election petition was published in the official gazette dated 21.06.2024 under Section 109 (2) of the

Representation of the People Act, 1951. In compliance with the order dated 30.05.2024, copy of I.A. No.3732/2024 was supplied to all the respondents. Learned counsel appearing for respondent No.1 has no objection to withdrawal of the petition. None of the other respondents has submitted any objection till date. The petitioner has applied for withdrawal of this election petition for the reason that he has been elected as Member of Madhya Pradesh State Legislative Assembly in next election. There is nothing to suggest that application is induced by any bargain or illegal consideration or the withdrawal is done under any coercion or undue influence. The withdrawal appears to be genuine and voluntary. No public interest would be affected for the reason of withdrawal of petition.

Considering the aforementioned fact situation, **I.A. No.3732/2024** is allowed and the election petition is **dismissed as withdrawn**. The cost of respondents shall be incurred by the petitioner. The notice of withdrawal shall be published in the official gazette. If no person applies to be substituted within 14 days of such publication as provided under Section 110(3)(C) of the Representation of the People Act, 1951, the Registry shall report withdrawal of petition to the Election Commission under Section 111 of the Act, 1951.

Sd./-
(SANJEEV S KALGAONKAR)
Judge.